



प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल
"चयन भवन", मेन रोड नं. 1. चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल 462011
फोन नं.- +91-755-2578801-02-03-04, Fax: +91-755-2550498,
E-mail: vyapam @mp.nic.in, website: www.vyapam.nic.in, www.peb.mp.gov.in

पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय){निम्न श्रेणी लिपिक} एवं सूबेदार (अनुसचिवीय) {शीघ्रलेखक(स्टेनोग्राफर)} के रिक्त (कार्यपालिक (अनुसचिवीय)) पदों पर सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा-2017
परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम पुस्तिका

ऑनलाईन आवेदन-पत्र	
आवेदन पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि : 01-09-2017	आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि : 15-09-2017
आवेदन में संशोधन करने की प्रारम्भ तिथि : 01-09-2017	आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि : 20-09-2017
परीक्षा दिनांक व दिन	07-10-2017 एवं 08-10-2017
परीक्षा शुल्क	
अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये	रु. 500/-
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिये (केवल म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)	रु. 250/-
ऑनलाईन आवेदन - कियोस्क के माध्यम से आनलाईन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एमपीआनलाईन का पोर्टल शुल्क रुपये 70/- देय होगा इसके अतिरिक्त रस्टिड सिटीजन यूजर के माध्यम से लागिन कर फार्म भरने पर पोर्टल शुल्क 40/- रु. देय होगा ।	

आनलाईन परीक्षा पद्धति समय सारणी

परीक्षा दिनांक एवं दिन	परीक्षा की पाली	अभ्यर्थियों के लिये रिपोर्टिंग समय	महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय	उत्तर अंकित का समय
07-10-2017 एवं 08-10-2017	प्रथम	प्रातः 07:30 बजे	08:50 से 09:00 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 09:00 से 11:00 बजे तक (2:00 घंटे)
	द्वितीय	अपरान्ह 01:30 बजे	02:50 से 03:00 बजे तक (10 मिनट)	सायं 03:00 से 05:00 बजे तक (2:00 घंटे)

टिप्पणी :-

1. अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है । अभ्यर्थी का आधार के माध्यम से (e-KYC) आवेदन पत्र ही मान्य होंगे ।
2. बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, तथा पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है।
3. यु.आई.डी.ए.आई. (UIDAI) के द्वारा सत्यापित (Verify) होने पर ही ई आधार मान्य होगा ।
4. परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय के 30 मिनट पश्चात तक परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी । इसके पश्चात विलम्ब से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।
5. परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, केलकुलेटर, लॉग टेबल्स, एवं नकल पर्चा आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
6. ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक के द्वारा ही लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
7. परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बाल प्वाइंट पेन तथा परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है
8. मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।
9. उपरोक्त सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा ।
10. परीक्षा में भर्ती हेतु आदिम जनजाति(बैगा,सहारिया एवं भारिया) के उम्मीदवारों को परीक्षा से छूट का प्रावधान नहीं होगा, वे अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा हेतु आनलाईन आवेदन कर सकते हैं ।
11. किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी ।

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल, म0प्र0

चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल - 462011

फोन नं. 0755-2578801, 02, 03, 04 फैक्स : 0755-2550498

ई-मेल : vyapam@mp.nic.in वेबसाईट : www.vyapam.nic.in

पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय){निम्न श्रेणी लिपिक} एवं सूबेदार (अनुसचिवीय){शीघ्रलेखक(स्टेनोग्राफर)} के रिक्त (कार्यपालिक(अनुसचिवीय)) पदों पर सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा-2017

विषय सूची

क्रं.	अध्याय	विवरण	पृष्ठ क्रं.
1.	01	पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय){निम्न श्रेणी लिपिक} एवं सूबेदार (अनुसचिवीय){शीघ्रलेखक(स्टेनोग्राफर)} के रिक्त (कार्यपालिक(अनुसचिवीय)) पदों सीधी पर भर्ती हेतु चयन परीक्षा-2017 विभागीय नियम एवं आरक्षण तालिका	3-25
2.	2	प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की परीक्षा संचालन संबंधी नियमावली	26-44
3	3	परीक्षा का पाठ्यक्रम	45
4.	प्रारूप-1	प्रश्न-पुस्तिका के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन पत्रक	46
5.	प्रारूप-2	आदर्श उत्तरों पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन पत्रक	47
6	प्रारूप-3	आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि पत्रक	48
7	प्रारूप-4	अन्य प्रारूप	49-52

अध्याय - 1

पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय){निम्न श्रेणी लिपिक} एवं सूबेदार (अनुसचिवीय){शीघ्रलेखक(स्टेनोग्राफर)} के रिक्त (कार्यपालिक(अनुसचिवीय)) पदों पर सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा-2017

1. सामान्य:-

1.1 पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रं. पुमु/2-चयन/स-2/96 एफ / 2017 दिनांक 17/05/2017 द्वारा सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) निम्न श्रेणी लिपिक एवं सूबेदार (अनुसचिवीय) {शीघ्रलेखक (स्टेनोग्राफर)} के रिक्त (कार्यपालिक(अनुसचिवीय)) पदों पर सीधी भर्ती के लिये इच्छुक पुरुष/महिला उम्मीदवार से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

1.2 पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है।

1.2 परिभाषाएं:-

(क) "आरक्षण" से अभिप्रेत है सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिये पदों का आरक्षण।

(ख) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या उसमें का यूथ जिसे संविधान के अनुच्छेद 348 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(ग) "अनुसूचित जन जाति" से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें का यूथ, जिसे संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जन जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(घ) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित अधिसूचना क्रमांक -एफ-8-5 पच्चीस-4-84 तारीख 26 दिसम्बर 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग किसी रिक्त के संबंध में ।

(च) "भर्ती का वर्ष" से अभिप्रेत है उस वर्ष की पहली जनवरी को प्रारम्भ होने वाली बारह मास की कालावधि, जिसके भीतर ऐसी रिक्त के प्रति सीधी भर्ती की प्रक्रिया आरम्भ की जाती है।

- (छ) “भूतपूर्व सैनिकों से अभिप्रेत है” ऐसा व्यक्ति जिसने संघ के सशस्त्र बलों में जिसमें भूतपूर्व भारतीय रियासतों के संयुक्त सशस्त्र बल भी सम्मिलित हैं, किसी भी रैंक” (लडाकू या गैर लडाकू) में कम से कम लगातार छः मास की कालावधि तक सेवा की और-
- (1) जिसे स्वयं के निवेदन पर या अक्षमता के कारण पदच्युत, सेवोन्मुक्त किये जाने से अन्यथा निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी नियुक्त के लंबित रहने तक रिजर्व में अंतरित किया गया है, या
- (2) जिसे उपरोक्तानुसार निर्मुक्त या अन्तरित किये जाने का हकदार होने के लिये अपेक्षित सेवा की कालावधि पूरी करने हेतु छः माह से अनधिक अवधि के लिये करनी पडी हो,
- (3) जिसे संघ के सशस्त्र बल में पांच वर्ष की पूर्ण करने के पश्चात स्वयं के निवेदन पर निर्मुक्त किया गया हो। विस्तृत विवरण कण्डिका में दर्शाया गया है।
- (ज) “मण्डल” से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल।
- (झ) “विभाग” से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश पुलिस विभाग जिसके अंतर्गत रिक्त पदों पर भर्ती किया जाना है।

1.3 पदों से संबंधित विवरण:-

1. सहायक उप निरीक्षक(अनुसचिवीय)(निम्न श्रेणी लिपिक) के सीधी भर्ती के पदों का विवरण

स.क्रं.	पदनाम	अनारक्षित				आरक्षित पद												योग			महायोग
		कुल	ओपन	महिला	भू.पू. सैनिक	अजा				अजजा				अपिव				ओपन	महिला	भू.पू. सैनिक	
						कुल	ओपन	महिला	भू.पू. सैनिक	कुल	ओपन	महिला	भू.पू. सैनिक	कुल	ओपन	महिला	भू.पू. सैनिक				
1	सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) (निम्न श्रेणी लिपिक) :: पुलिस मुख्यालय सामान्य शाखा	60	34	20	6	14	8	5	1	27	15	9	3	4	3	1	0	60	35	10	105
2	सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) (निम्न श्रेणी लिपिक) :: मैदानी इकाईयां	77	44	25	8	46	26	15	5	78	44	26	8	29	16	10	3	130	76	24	230
3	सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) (निम्न श्रेणी लिपिक) :: विशेष शाखा	23	13	8	2	4	3	1	0	9	5	3	1	0	0	0	0	21	12	3	36
4	सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) (निम्न श्रेणी लिपिक) :: अपराध अनुसंधान विभाग	6	3	2	1	0	0	0	0	4	3	1	0	0	0	0	0	6	3	1	10
योग		166	94	55	17	64	37	21	6	118	67	39	12	33	19	11	3	217	126	38	381

2. सूबेदार(अनुसचिवीय){शीघ्रलेखक(स्टेनोग्राफर)} के सीधी भर्ती के पदों का विवरण

क्र. सं.	पदनाम	अनारक्षित				आरक्षित पद												योग			महायोग
		कुल	ओपन	महिला	भू.पू. सैनिक	अजा				अजजा				अपिव				ओपन	महिला	भू.पू. सैनिक	
						कुल	ओपन	महिला	भू.पू. सैनिक	कुल	ओपन	महिला	भू.पू. सैनिक	कुल	ओपन	महिला	भू.पू. सैनिक				
1	सूबेदार(अनुसचिवीय) {शीघ्रलेखक(स्टेनोग्राफर)} }) :: पुलिस मुख्यालय सामान्य शाखा	57	32	19	6	8	4	3	1	30	17	10	3	17	9	6	2	62	38	12	112
2	सूबेदार(अनुसचिवीय) {शीघ्रलेखक(स्टेनोग्राफर)} }) :: विशेष शाखा	8	4	3	1	1	1	0	0	5	2	2	1	1	1	0	0	8	5	2	15
	योग	65	36	22	7	9	5	3	1	35	19	12	4	18	10	6	2	70	43	14	127

1.4 पदों का वेतनमान:-

स.क्र.	पद नाम	वेतनमान
1.	सहायक उप निरीक्षक(अनुसचिवीय) निम्न श्रेणी लिपिक	5200-20200+ग्रेड पे 1900/-
2.	सूबेदार(अनुसचिवीय) शीघ्रलेखक(स्टेनोग्राफर)	9300-34800+ग्रेड पे 3600/-

1.5 न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता:-

स.क्र.	पद नाम	शैक्षणिक अर्हताएँ
1.	सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) निम्न श्रेणी लिपिक	<p>(1)- हायर सेकेंडरी परीक्षा (पुरानी प्रणाली) या हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (10+2) प्रणाली में उत्तीर्ण होना चाहिए।</p> <p>(2)- सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) के लिए हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा प्रमाण पत्र के स्थान पर लागू सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 01 जुलाई 2013 के (कम्प्यूटर टायपिंग) प्रावधान को संशोधित करते हुये व्यापक के स्थान पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (Computer Proficiency Certification Test- CPCT) कम्प्यूटर दक्षता एवं हिन्दी टाईपिंग उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र (स्कोर कार्ड) को मान्य किया जाता है।</p> <p>(3)- निम्नलिखित मान्यता प्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diploma from all Universities recognized by UGC. 2. Diploma from all Open universities recognized by UGC. 3. Diploma level examination from DOEACC. 4. Modern Office Management Course from Govt. Polytechnic College. 5. One Year Certificate Course in "Computer Operator and Programming Assistant(COPA)" from Government I.T.I. <p>निम्नानुसार अर्हताओं को कम्प्यूटर डिप्लोमा/डिग्री हेतु सम्मिलित किया जाता है:-</p> <p>(1)बी.ई.(सी.एस.ई./आई.टी.)/एम.सी.ए./बी.सी.ए./एम.एस.सी.(आई.टी./सी.एस.) बी.एस.सी.(आई.टी./सी.एस.)एम.टेक/एम.ई. इत्यादि</p> <p>(2)-ए.आई.सी.टी.ई. से अनुमोदित पोलिटेक्निक डिप्लोमा इन कम्प्यूटर साईंस/कम्प्यूटर एप्लीकेशन एवं इंफारमेशन टेक्नोलॉजी इत्यादि नोट- बी.एस.सी./बी.कॉम./डिग्रीयां जिनमें केवल कम्प्यूटर के एक विषय का अध्यापन सम्मिलित है मान्य नहीं होगा।</p>
2.	सूबेदार (अनुसचिवीय)	<p>(1)- हायर सेकेंडरी परीक्षा (पुरानी प्रणाली) या हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (10+2) प्रणाली में उत्तीर्ण होना चाहिए,</p> <p>(2)- मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा परिषद्/बोर्ड या समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्थान</p>

<p>शीघ्रलेखक (स्टेनोग्राफर)</p>	<p>से 100 शब्द प्रति मिनट की गति से शीघ्रलेखन (स्टेनोग्राफी) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त पोलीटेक्निक महाविद्यालय से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में डिप्लोमा प्रमाण-पत्र अथवा मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित अन्य किसी संस्थान से उत्तीर्ण समकक्ष परीक्षा।</p> <p>(3)- मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रं. सी 3-15/2014/1/3, भोपाल दि. 26 फरवरी 2015 के अनुसार सूबेदार (अनुसचिवीय){शीघ्रलेखक(स्टेनोग्राफर)} के लिए हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा प्रमाण पत्र के स्थान पर लागू सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 01 जुलाई 2013 के (कम्प्यूटर टायपिंग) प्रावधान को संशोधित करते हुये व्यापम के स्थान पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (Computer Proficiency Certification Test- CPCT) का कम्प्यूटर दक्षता एवं हिन्दी टाईपिंग उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र (स्कोर कार्ड) को मान्य किया जाता है।</p> <p>(4)- मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा परिषद/बोर्ड या समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्थान से हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा (100 शब्द प्रति मिनट) उत्तीर्ण अथवा एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त पोलीटेक्निक महाविद्यालय से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में डिप्लोमा प्रमाण पत्र अथवा मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित अन्य किसी संस्थान से उत्तीर्ण समकक्ष परीक्षा होना अनिवार्य तथा सूबेदार(अनुसचिवीय){शीघ्रलेखक(स्टेनोग्राफर)} का शीघ्रलेखन का व्यावहारिक टेस्ट अनिवार्य रूप से लिया जाएगा ।</p> <p>(5)- निम्नलिखित मान्यता प्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diploma from all Universities recognized by UGC. 2. Diploma from all Open universities recognized by UGC. 3. Diploma level examination from DOEACC. 4. Modern Office Management Course from Govt. Polytechnic College. 5. One Year Certificate Course in "Computer Operator and Programming Assistant(COPA)" from Government I.T.I. <p>निम्नानुसार अर्हताओं को कम्प्यूटर डिप्लोमा/डिग्री हेतु सम्मिलित किया जाता है:-</p> <p>(1)बी.ई.(सी.एस.ई./आई.टी.)/एम.सी.ए./बी.सी.ए./एम.एस.सी.(आई.टी./सी.एस.) बी.एस.सी.(आई.टी./सी.एस.)एम.टेक/एम.ई. इत्यादि</p> <p>(2)-ए.आई.सी.टी.ई. से अनुमोदित पोलीटेक्निक डिप्लोमा इन कम्प्यूटर साईंस/कम्प्यूटर एप्लीकेशन एवं इंफारमेशन टेक्नोलॉजी इत्यादि</p> <p>नोट- बी.एस.सी./बी.कॉम./डिग्रीयां जिनमें केवल कम्प्यूटर के एक विषय का अध्यापन सम्मिलित है मान्य नहीं होगा।</p>
-------------------------------------	---

नोट (1):- यहाँ स्पष्ट किया जाता है कि सूबेदार "अ" (शीघ्रलेखक (स्टेनोग्राफर) के पद हेतु उपरोक्त अर्हता क्रमांक (2) हेतु मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग " मध्य प्रदेश शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा परिषद" द्वारा संचालित 100 शब्द प्रति मिनट की गति की शीघ्रलेखन (Shorthand-Stenography) परीक्षा के समकक्ष निम्न लिखित परीक्षाओं को मान्यता प्रदान की गई है:-

(अ) माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल द्वारा हायर सेकण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत 100 शब्द प्रति मिनट की

गति से आयोजित शीघ्रलेखन (स्टेनोग्राफी) परीक्षा (संदर्भ: मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक सी-9-1/96/3/ एक दिनांक 22 जनवरी 1996)

- (ब) मध्य प्रदेश जनशक्ति नियोजन विभाग द्वारा संचालित मध्य प्रदेश तकनीकी शिक्षा मण्डल के अंतर्गत आने वाले सभी पालीटेक्निक संस्थाओं से 100 शब्द प्रति मिनट की गति से आयोजित शीघ्रलेखन (स्टेनोग्राफी) परीक्षा वाले कमर्शियल प्रेक्टिस/सेक्रेटेरियल प्रेक्टिस का डिप्लोमा (संदर्भ: मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक सी-3-60/92/3/ क दिनांक 10 जनवरी 1996 एवं क्रमांक 396/442/1(3)/73/एक दिनांक 21 मई 1973)
- (स) मध्य प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं (आई.टी.आई.) से 100 शब्द प्रति मिनट की शीघ्रलेखन (स्टेनोग्राफी) परीक्षा में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के राष्ट्रीय वृत्तिक दस्तकार प्रशिक्षण परिषद् (National Council for Vocational Trades) द्वारा प्रदत्त राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रमाण पत्र (संदर्भ: मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक 30/2925/1(3)/76 दि. 20 जनवरी 1977).

नोट (2):- उम्मीदवारों को सचेत किया जाता है कि वे आवेदन करने के पूर्व अपनी अर्हताओं के प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, डिग्री का परीक्षण आदि भली भांति कर लें। जिन उम्मीदवारों के पास उपरोक्त अर्हताएं नहीं हैं वे इस चयन परीक्षा में शामिल होने के पात्र नहीं हैं। ऐसे उम्मीदवारों को सचेत किया जाता है कि वे अर्हताओं के सम्बन्ध में पूर्ण सतर्कता एवं सावधानी बरतते हुए आवेदन करें।

नोट (3):- **आवेदक के पास समस्त निर्धारित न्यूनतम अर्हतायें आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक होना अनिवार्य है।** इसके बाद किसी भी दिनांक को अर्हताएं अर्जित करने वाले आवेदक विज्ञापित पदों के लिए विचारित होने की पात्रता नहीं रखेंगे।

नोट (4):- सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) (निम्न श्रेणी लिपिक) अथवा सूबेदार (अनुसचिवीय) शीघ्रलेखक(स्टेनोग्राफर) के पदों हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को एक ही ऑनलाईन आवेदन पत्र भरना है। ऑनलाईन आवेदन पत्र में पदों का विकल्प उपलब्ध होगा।

नोट (5):- जो उम्मीदवार सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) (निम्न श्रेणी लिपिक) एवं सूबेदार (अनुसचिवीय) शीघ्रलेखक(स्टेनोग्राफर)} दोनो पदों हेतु निर्धारित अर्हता रखते हैं, वे दोनों पदों का विकल्प दे सकते हैं। ऐसे उम्मीदवारों को इन दो पदों के लिये प्रथम अथवा द्वितीय प्राथमिकता अंकित करनी होगी। ऐसे उम्मीदवारों को इन दो

पदों के लिये एक ही परीक्षा देनी होगी तथा मेरिट एवं अंकित की गई प्राथमिकता के आधार पर उनका चयन एक पद के लिये किया जावेगा ।

नोट (6):- यह स्पष्ट किया जाता है कि बिन्दु 1.5 शैक्षणिक योग्यता में दर्शाये गये सहायक उप निरीक्षक(अनुसचिवीय) (निम्न श्रेणी लिपिक) एवं सूबेदार(अनुसचिवीय) शीघ्रलेखक(स्टेनोग्राफर)} की शैक्षणिक योग्यता के लिये वांछित आर्हताओं हेतु पृथक-पृथक प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है।

नोट (7):- पी.ई.बी. द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को सूबेदार (अ) (शीघ्रलेखक) के पद हेतु शारीरिक माप जोख एवं दस्तावेज परीक्षण हेतु बुलाया जायेगा । शारीरिक माप जोख एवं दस्तावेज परीक्षण में सूबेदार(अनुसचिवीय) (शीघ्रलेखक) पद के योग्य उम्मीदवारों के शीघ्रलेखन का व्यावहारिक टेस्ट पुलिस मुख्यालय द्वारा गठित समिति द्वारा लिया जावेगा । व्यावहारिक टेस्ट के कोई अंक नहीं होंगे । व्यावहारिक टेस्ट में प्रत्येक उम्मीदवार का उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा । अगर कोई उम्मीदवार व्यावहारिक टेस्ट में अनुत्तीर्ण होता है तो उसकी उम्मीदवारी स्वतः समाप्त हो जायेगी चाहे वे शारीरिक माप जोख एवं दस्तावेज परीक्षण में योग्य हुआ हो । दस्तावेज परीक्षण एवं शारीरिक माप जोख में योग्य उम्मीदवारों का अन्तिम परिणाम पीईबी द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको की मेरिट से तय किया जायेगा ।

1.6. सामान्य:-

1.6.1 संवर्गों का वर्गीकरण:

- (क) म.प्र. पुलिस में सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) निम्न श्रेणी लिपिक, के निम्न लिखित संवर्ग है:-
- (1) पुलिस मुख्यालय सामान्य शाखा,
 - (2) विशेष शाखा तथा विशेष शाखा की मैदानी ईकाइयां
 - (3) अपराध अनुसंधान विभाग एवं राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो,
 - (4) मैदानी ईकाइयां जिनमें समस्त जिले, वि.स.बल की समस्त वाहिनियां, शास.रेल पुलिस पुलिस दूरसंचार संगठन की मैदानी ईकाइयां, प्रशिक्षण संस्थान, आर.ए.पी.टी.सी. इन्दौर, जे.एन.पी.ए. सागर, तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला सागर,
- (ख) म.प्र. पुलिस में सूबेदार (अनुसचिवीय) शीघ्रलेखक (स्टेनोग्राफर), के निम्न लिखित संवर्ग है:-

- (1) पुलिस मुख्यालय सामान्य शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग एवं राज्य अपराध अभिलेख ब्यरों, मैदानी ईकाइयां जिनमें समस्त जिले, वि.स.बल की समस्त वाहिनियां, शास.रेल पुलिस पुलिस दूरसंचार संगठन की मैदानी ईकाइयां, प्रशिक्षण संस्थान, आर.ए.पी.टी.सी. इन्दौर, जे.एन.पी.ए. सागर, तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला सागर,
 - (2) विशेष शाखा तथा विशेष शाखा की मैदानी ईकाइयां
- 1.6.2 नियुक्ति के लिये सक्षम अधिकारी: सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) निम्न श्रेणी लिपिक एवं सूबेदार (अनुसचिवीय) शीघ्रलेखक (स्टेनोग्राफर) के नियुक्तकर्ता अधिकारी जिला पुलिस अधीक्षक, सेनानी अथवा सहायक पुलिस महानिरीक्षक अथवा उनके समकक्ष अधिकारी होंगे।
 - 1.6.3 चयन परीक्षा के लिये पुलिस मुख्यालय की शाखाओं तथा मैदानी ईकाइयों के रिक्त पदों की जानकारी चयन शाखा द्वारा मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल को उपलब्ध कराई जावेगी।
 - 1.6.4 चयन परीक्षा के समन्वय एवं उम्मीदवारों के प्रमाण पत्रों तथा दस्तावेजों के परीक्षण के लिये पुलिस मुख्यालय की चयन शाखा की अनुशंसा पर पुलिस महानिदेशक द्वारा एक चयन समिति गठित की जावेगी। अध्यक्ष समेत सदस्यों में से न्यूनतम एक सदस्य अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग का होना अनिवार्य होगा।
 - 1.6.5 सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) (निम्न श्रेणी लिपिक) एवं सूबेदार (अनुसचिवीय) (शीघ्रलेखक (स्टेनोग्राफर) की भरती हेतु चयन परीक्षा मध्य प्रदेश मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा उनके नियमों एवं प्रक्रिया के अनुरूप आयोजित की जावेगी।
 - 1.6.6 उक्त भर्ती के रिक्त पदों हेतु 10प्रतिशत के बराबर प्रतीक्षा सूची के नियम को समाप्त करते हुये, पी.ई.बी. द्वारा लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के उपरांत द्वितीय चरण हेतु रिक्त पदों का 1.5 गुना अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण दस्तावेज परीक्षण हेतु बुलाया जाएगा।
 - 1.6.7 पुलिस महानिदेशक द्वारा गठित चयन समिति के द्वारा उम्मीदवारों के शारीरिक मापजोख एवं दस्तावेजों का परीक्षण कर, योग्य उम्मीदवारों की पृथक सूची तैयार किया जावेगा। योग्य उम्मीदवारों की सूची का अनुमोदन पुलिस महानिदेशक द्वारा किया जावेगा। दस्तावेज परीक्षण में योग्य/अयोग्य पाये गये उम्मीदवारों की सूची पीईबी को चयन समिति द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी। जिसके आधार पर अंतिम मैरिट सूची उपलब्ध कराए गए श्रेणीवार/संवर्गवार रिक्त पदों की संख्या के अनुसार

अभ्यर्थियों की सूची अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेगी तथा अंतिम चयन सूची संवर्गवार/श्रेणीवार(चयन/भर्ती) पु.मु. भोपाल को सत्यापित प्रति उपलब्ध करायेगी ।

1.7 सेवा में नियुक्ति:

इस नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां केवल सक्षम नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन समिति का प्रतिवेदन प्राप्त करने के उपरांत की जावेगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति इस नियम के विनिर्दिष्ट नियुक्ति के तरीकों द्वारा चयन किये जाने के पश्चात ही की जावेगी अन्यथा नहीं।

1.8 सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) (निम्न श्रेणी लिपिक) पद हेतु नियुक्ति का तरीका:-

1.8.1 इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में नियुक्ति निम्नलिखित तरीकों द्वारा की जावेगी, अर्थात:-

(क) प्रतियोगी परीक्षा में चयन द्वारा सीधी भर्ती द्वारा।

(ख) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पद जो इस निमित्त विनिर्दिष्ट हों मूल हैसियत में धारण करते हों।

(ग) म.प्र. शासन तथा पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप अनुकम्पा नियुक्ति द्वारा

1.8.2 शासन आदेशानुसार सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) निम्न श्रेणी लिपिक, के पदों पर 25 प्रतिशत पद चतुर्थ श्रेणी कर्मियों (प्र.आर. "एम"/आर. "एम") के लिये आरक्षित किये गये हैं, नियुक्ति के समय सीधी भरती के पदों की गणना हेतु तदनुसार कार्यवाही की जावेगी।

1.8.3 इन नियमों के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए सेवा में किसी ऐसे विशिष्ट रिक्त या रिक्तियों को, जिन्हें भरती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भर जाना अपेक्षित हो, भरने के प्रयोजन के लिये अपनाया जाने वाला तरीका या तरीके, तथा प्रत्येक द्वारा भरती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर सेवा की एकरूपता एवं दक्षता बनाये जाने के उद्देश्य से पुलिस मुख्यालय के परामर्श से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जावेगी।

1.8.4 उपनियम 1.8.1 के होते हुए भी यदि सेवा की आवश्यकताओं को देखते हुए नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी के अभिमत में यह आवश्यक हो तो सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से उपरोक्त उपनियम 1.8.1 में दर्शाए गए तरीके से भिन्न तरीके जैसा कि आदेशित किया गया हो, भरती के लिये अपनाये जा सकते हैं।

1.9 सूबेदार (अनुसचिवीय) (शीघ्रलेखक (स्टेनोग्राफर) पद हेतु नियुक्ति का तरीका:-

- 1.9.1 इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में नियुक्ति निम्नलिखित तरीकों द्वारा की जावेगी, अर्थात:-
- (क) प्रतियोगी परीक्षा में चयन द्वारा सीधी भर्ती द्वारा।
- (ख) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पद जो इस निमित्त विनिर्दिष्ट हों मूल हैसियत में धारण करते हों।
- 1.9.2 इन नियमों के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए सेवा में किसी ऐसे विशिष्ट रिक्त या रिक्तियों को, जिन्हें भरती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भर जाना अपेक्षित हो, भरने के प्रयोजन के लिये अपनाया जाने वाला तरीका या तरीके, तथा प्रत्येक द्वारा भरती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर सेवा की एकरूपता एवं दक्षता बनाये जाने के उद्देश्य से पुलिस मुख्यालय के परामर्श से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जावेगी।
- 1.9.3 उपनियम 1.9.1 के होते हुए भी यदि सेवा की आवश्यकताओं को देखते हुए नियुक्तकर्ता प्राधिकारी के अभिमत में यह आवश्यक हो तो सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से उपरोक्त उपनियम 1.9.1 में दर्शाए गए तरीके से भिन्न तरीके जैसा कि आदेशित किया गया हो, भरती के लिये अपनाये जा सकते हैं।

1.10 प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भरती:-

- 1.10.1 प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भरती के लिये मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल द्वारा विज्ञापन जारी किया जावेगा। मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा स्वयं अथवा एम.पी. ऑन-लाइन के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जावेंगे।
- 1.10.2 भरती के लिये उम्मीदवारों के चयन के लिये प्रतियोगी परीक्षा ऐसे समयान्तर पर होगी जैसा कि पुलिस मुख्यालय समय-समय पर निर्धारित करें।
- 1.10.3 सीधी भरती के लिये उपलब्ध रिक्तियों में से उन अभ्यर्थियों के लिये पद आरक्षित रखे जावेंगे जो मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के प्रावधानों और राज्य सरकार द्वारा पुलिस विभाग के लिये समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के सदस्य हैं। सीधी भरती के लिये उपलब्ध रिक्तियों में से महिलाओं के लिये, उतने पद आरक्षित रखे जावेंगे जितने राज्य सरकार समय-समय पर पुलिस विभाग के लिये आदेशित करें। वर्तमान नियमों के अनुसार कुल विज्ञापित पदों के 20 प्रतिशत पद अनुसूचित जनजाति के लिये, 16 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लिये 14 प्रतिशत

अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित होंगे। महिलाओं के लिये 33 प्रतिशत कम्पार्टमेन्ट वाइज होरीजॉन्टल आरक्षण होगा। भूतपूर्व सैनिकों के लिये 10 प्रतिशत पदों का कम्पार्टमेन्ट वाइज होरीजॉन्टल आरक्षण होगा।

उदाहरण:- उदाहरण के लिये यदि किसी इकाई में 100 पद रिक्त विज्ञापित होते हैं और रोस्टर के अनुसार अनुसूचित अनुसूचित जाति के लिये 16 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लिये 20 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये 14 प्रतिशत पद आरक्षित हैं तो क्रमशः 16, 20 और 14 कुल 50 पद इन वर्गों के लिये आरक्षित होंगे और शेष 50 पद खुली प्रतियोगिता के होंगे।

अब शासन के आदेशानुसार महिलाओं के लिये 33 प्रतिशत कम्पार्टमेन्ट वाइज होरीजॉन्टल आरक्षण है, इसका आशय यह है कि अनुसूचित जाति के 16 पदों में से 33 प्रतिशत यानि कि 5 पद अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित होंगे। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये 20 में से 7 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये 14 में से 5 पद आरक्षित होंगे और इस प्रकार महिलाओं के लिये शेष 16 पद सामान्य एवं खुली प्रतियोगिता के वर्ग में चिन्हित होंगे। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी जाति वर्ग में योग्य महिला उपलब्ध नहीं है तो उसी जाति वर्ग के योग्य पुरुष के द्वारा वह रिक्ति पूर्ति की जावेगी।

शासन के आदेशानुसार 10 प्रतिशत पद भूतपूर्व सैनिकों के लिये कम्पार्टमेन्ट वाइज होरीजॉन्टल आरक्षण के तहत आरक्षित है। इनकी गणना भी महिलाओं की भांति जाति वर्ग वार पृथक पृथक की जावेगी।

भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय के परिपत्र No- 36034/1/2014-Estt./Res दिनांक 14.08.14 में निहित प्रावधान अनुसार ऐसे भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार जो पूर्व में भूतपूर्व सैनिकों को प्रदाय आरक्षण का लाभ प्राप्त कर चुके हैं उन्हें पूनः भूतपूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा ।

यहाँ स्पष्ट करना आवश्यक है कि सामाजिक वर्ग पर आधारित आरक्षण अर्थात् अनुसूचित जाति, अनु.जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण 'वर्टिकल' स्वरूप का है । महिलाओं तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण "हारिजोन्टल एवं कम्पाटमेंट वाईज" स्वरूप का है । इन दो आरक्षणों में अन्तर मान. उच्चतम न्यायालय द्वारा इन्द्रा साहनी विरुद्ध भारत संघ (संदर्भ 1992 SUPP (3) SCC-217) में स्पष्ट किया गया है । हारिजोन्टल एवं कम्पाटमेंट वाईज आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया जो मान. उच्चतम न्यायालय द्वारा अनिल कुमार गुप्ता

विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य के प्रकरण में निर्धारित की गई है (संदर्भ : 1995 (2) SUPP,SCR-396-1995 (5) SCC-173) का अनुसरण किया जाता है । वर्तमान में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Civil Appeal No 3609 of 2017 दीपा ई.बी. विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में पारित निर्णय का भी अनुसरण किया जावेगा ।

1.10.4 उपरोक्तानुसार आरक्षित रिक्तियों की पूर्ति के लिये ऐसे उम्मीदवार जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य हैं, की उसी क्रम में ही नियुक्ति पर विचार किया जावेगा जिस क्रम में उनके नाम चयन सूची में प्रकट हुए हों भले ही अन्य उम्मीदवारों से उनकी तुलनात्मक स्थिति भिन्न ही क्यों न हो।

1.10.5 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित रिक्तियों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार जिन्हें कि नियुक्तकर्ता प्राधिकारी ने प्रशासन की दक्षता को बनाये रखने का ध्यान रखते हुए नियुक्ति के योग्य घोषित किया है, की ही नियुक्ति की जा सकेगी।

1.11 सीधी भरती की पात्रता की शर्तें:

1.11.1 नागरिकता एवं स्थाई निवासी के संबंध में:-

- (क) आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिये, या
- (ख) आवेदक को सिक्किम की प्रजा होना चाहिये, या
- (ग) भारतीय मूल का कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिये, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के अभिप्राय से पाकिस्तान से आया हो, या
- (घ) नेपाल की या भारत स्थित किसी पुर्तगाली या फ्रांसीसी प्रदेश की प्रजा होना चाहियें।

टिप्पणी:-

1. उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) और (घ) में निर्दिष्ट उम्मीदवारों की नियुक्ति उनके पक्ष में राज्य शासन द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के अध्यक्षीन होगी। उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार के संबंध में पात्रता का प्रमाण-पत्र उसकी नियुक्ति के दिनांक से केवल एक वर्ष की अवधि के लिये ही वैध होगा और उसके पश्चात् उसे सेवा में केवल उस स्थिति में ही रखा जा सकेगा, यदि वह भारत का नागरिक बन जाए, तथापि पात्रता के प्रमाण-पत्र निम्नलिखित किसी एक प्रवर्ग के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवारों के मामले में आवश्यक नहीं होंगे।

- (i) ऐसे व्यक्ति, जो 19 जुलाई 1948 के पहले पाकिस्तान से भारत आये थे और तब से भारत में मामूली तौर से, निवास कर रहे हैं।
 - (ii) ऐसे व्यक्ति जो 18 जुलाई 1948 के पश्चात् पाकिस्तान से भारत आये थे और जिन्होंने स्वयं को भारत के नागरिक के रूप में पंजीयत करा लिया है।
 - (iii) उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) और (घ) के अंतर्गत आने वाले गैर नागरिक जो संविधान के प्रारंभ होने अर्थात् दिनांक 26 जनवरी 1950 के पूर्व शासन की सेवा में प्रविष्ट हुए थे और जो उस समय से अभी तक ऐसी सेवा में हैं।
2. किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो इस बात के अध्यक्षीन अंतिम रूप से नियुक्ति किया जा सकेगा कि राज्य शासन द्वारा उसके पक्ष में आवश्यक प्रमाण-पत्र अंततः जारी कर दिया जाए।
- 1.11.2 ऐसे अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी नहीं हैं, सिर्फ अनारक्षित/ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों को म.प्र. शासन द्वारा देय किसी भी प्रकार का आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा तथा उनकी आयु सीमा विज्ञापन के वर्ष की 01 जनवरी को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 25 वर्ष होना चाहिए।
- 1.12 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों को प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटें:-
- (क) आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के संवर्ग सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. सी-3-10-85-3-1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट दी जावेगी।
 - (ख) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. सी-3-18-85-3-1, दि. 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जावेगी।
 - (ग) बिन्दु 1.12 के (क) से (ख) तक प्रोत्साहन स्वरूप आयु सीमा में मिलने वाली छूटों के अन्तर्गत यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में मिलने वाली सर्वाधिक अधिकतम लाभ वाले एक आधार के लिये छूट मिलेगी। बिन्दु 1.12 के (क) से (ख) तक प्रोत्साहन स्वरूप आयु सीमा में मिलने वाली, छूट, बिन्दु 1.14 की तालिका में अंकित 1 से 8 तक मिलने वाली छूटों के अतिरिक्त होगी।
- 1.13 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों की आयु सीमा के संबंध में अन्य विवरण:-

- (क) मध्यप्रदेश शासन गृह पुलिस विभाग के जाप क्रमांक एफ-2-(अ) 541/92/ब (4) दो, दिनांक 04.04.1995 के अनुसार पुलिस विभाग में विकलांगों/निःशक्तजनों की भरती से छूट प्रदान की गई है। अतः पुलिस विभाग के पदों की चयन परीक्षा में निःशक्तजन आवेदन नहीं कर सकेंगे।
- (ख) ऐसे उम्मीदवार को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो ।
- (ग) ऐसे उम्मीदवार, को जो कि छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा से अधिक से अधिक सात वर्ष की अवधि भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने की अनुमति दी जायेगी, बशर्ते कि इसके परिणाम स्वरूप निकलने वाली आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरण:- शब्द “छटनी” किये गये शासकीय कर्मचारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो इस राज्य अथवा संघटक इकाई में से किसी भी इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छः माह तक निरन्तर रहा हो तथा रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया था ।

- (घ) ऐसे उम्मीदवार को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरण:- शब्द “भूतपूर्व सैनिक” से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की अवधि तक निरन्तर सेवा करता रहा हो तथा जिसका किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता यूनिट (इकाई) की सिफारिशों के फलस्वरूप या कर्मचारियों की संख्या में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गई हो अथवा जो आवश्यक कर्मचारियों की संख्या से अधिक (सरप्लस) घोषित किया गया हो:-

- (1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व निवृत्ति-रियायतों (मस्टरिंग आउट) के अधीन सेवा मुक्त किया गया हो,
 - (2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा भर्ती किया गया हो, और
 - (क) नियुक्ति की अल्पकालीन अवधि पूर्ण हो जाने पर
 - (ख) भर्ती संबंधी शर्तें पूरी होने पर सेवा मुक्त कर दिया गया हो,
 - (3) मद्रास सिविल युनिट (इकाई) के भूतपूर्व कर्मचारी
 - (4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें अनुबन्ध पूरा होने पर सेवामुक्त किया गया हो, जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं।
 - (5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के बाद सेवा मुक्त किया गया हो ।
 - (6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जो असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग कर दिये गये हो।
 - (7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवा मुक्त किया गया हो कि अब वे सक्षम सैनिक न बन सकेंगे ।
 - (8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो,
 - (च) वास्तविक विस्थापित स्वर्णकारों के अर्थात् उन स्वर्णकारों के मामले में भी जिनके पास श्रम विभाग के ज्ञापन क्रं. 3345-4005-सोलह, तारीख 6 मई 1963 के अनुसार पहचान पत्र हो, अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष तक की शिथिल की जा सकेगी।
 - (छ) ऐसा व्यक्ति जो 1.1.1963 के बाद रा.छ.सेना में पूर्णकालिक केडट अनुदेशक के रूप में भरती किया गया हो, अपनी प्रारंभिक वांछित सेवावधि की समाप्ति पर राष्ट्रीय छात्र सेना से निर्मुक्त होने पर अपनी वास्तविक आयु में से राष्ट्रीय छात्र सेना में की गई सेवा की अवधि घटा सकेगा, परंतु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह किसी विशिष्ट पद के लिए विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।
- टीप- (1) उपर्युक्त उल्लेखित आयु संबंधी रियायतों के अंतर्गत जिन उम्मीदवारों को चयन के योग्य माना गया हो वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद, चयन के लिए उपस्थित होने के पूर्व या पश्चात सेवा से त्याग-पत्र दे दें, तो वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे तथापि यदि आवेदन पत्र भेजने के बाद उनकी सेवा अथवा पद से छंटनी हो जावे तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे। अन्य किसी भी मामले में इन आयु सीमाओं में छूट नहीं दी जावेगी। विभागीय उम्मीदवारों को चयन के लिए उपस्थित होने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी ।

(2) यदि कोई आवेदक निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट के लाभ के लिये एक से अधिक आधार रखता है, तो उसे अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में ही छूट का लाभ प्राप्त होगा।

1.14 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों के लिए आयु सीमा:-

मध्यप्रदेश शासन गृह (पुलिस) विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2(अ)-244-95-ब(4) दिनांक 14 अगस्त 1995 के अनुसार अभ्यर्थी की आयु सीमा विज्ञापन के वर्ष की 01 जनवरी को 18 वर्ष से कम एवं 25 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल, के आदेश क्र; 3-8/2016/3 भोपाल, दिनांक 05 जून, 2017 के अनुसार निम्न संवर्गों के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों की आयु सीमा की गणना निम्नानुसार है :-

1.

क्र.	भर्ती का तरीका	म.प्र. लोक सेवा आयोग से भरे जाने वाले पदों वर्दीधारी (राजपत्रित/ अराजपत्रित/ कार्यपालिक) के लिए	लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के तृतीय/ चतुर्थ श्रेणी के वर्दीधारी पदों के लिए
		न्यूनतम/ अधिकतम आयु सीमा (वर्ष में)	
1	खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के भरे जाने वाले पदों के लिए	21 से 28	18 से 25

2. मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिए आयु-सीमा में अधिकतम छूट :-

1	पुरुष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	28 + 05 = 33	25 + 08 = 33
2	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग) पुरुष/महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग- अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)/ शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक/निःशक्तजन	28 + 10 = 38	25 + 13 = 38

नोट- 1- अधिकतम आयु सीमा में उपलब्ध उपरोक्त सभी प्रकार की छूटें मध्य प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही उपलब्ध होंगी इस हेतु मध्य प्रदेश राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र अनिवार्य है। अन्य राज्यों के अभ्यर्थी को उपरोक्त छूटें अथवा आरक्षण प्राप्त नहीं होगा तथा अन्य राज्यों के अभ्यर्थी को अनारक्षित श्रेणी में ही शामिल होने की पात्रता होगी।

- 2- किसी भी स्थिति में सभी प्रकार की छूटे प्राप्त होने पर भी अभ्यर्थी की आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये ।

सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के आदेश क्र; सी 3-8/2016/3-एक भोपाल दिनांक 12 मई 2017 के अनुसार:-

- 01 प्रदेश से बाहर के अभ्यर्थियों को किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु-सीमा में छूट प्राप्त नहीं होगी।
- 02 आदेशक की कण्डिका-3 तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा ।

1.15 शारीरिक योग्यता:-

भरती के लिये निम्नानुसार शारीरिक अर्हताएं होना आवश्यक है:-

1.15.1 ऊंचाई (सेन्टीमीटर में)

1. पुरुष 162

2. महिला 152 (ऊंचाई में कोई छूट नहीं दी जावेगी।)

1.15.2 अभ्यर्थी के शरीर में किसी भी प्रकार की अपंगता नहीं होना चाहिये।

1.15.3 अभ्यर्थी के शरीर में नाक-नी, फ्लेट फुट नहीं होना चाहिये तथा चिकित्सीय तथा चिकित्सीय दृष्टि से योग्य होना चाहिये, अभ्यर्थी को आंख से सम्बन्धित कोई रोग नहीं होना चाहिये तथा आंख की तीव्रता बिना चश्में के 6/9 तथा दूसरी आंख की दृष्टि तीव्रता बिना चश्में के 6/12 से कम नहीं होना चाहिये मुख्य रंगों का भेद करने में अभ्यर्थी को सक्षम होना चाहिये। अभ्यर्थी को कोई गंभीर रोग नहीं होना चाहिये।

1.16 चयन का आधार:-

सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) (निम्न श्रेणी लिपिक) के पद एवं सूबेदार (अनुसचिवीय) (शीघ्रलेखक (स्टेनोग्राफर) पद हेतु

सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) (निम्न श्रेणी लिपिक) एवं सूबेदार (अनुसचिवीय) शीघ्रलेखक(स्टेनोग्राफर) पद पर चयन हेतु मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा केवल लिखित परीक्षा ली जावेगी। साक्षात्कार /प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन नहीं किया जायेगा। लिखित परीक्षा में दो घंटे की समयावधि का एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न एक अंक का तथा हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में होगा। प्रश्न पत्र की योजना निम्नानुसार रहेगी:-

स.क्र.	विषय	प्रश्नों की संख्या
1.	मध्यप्रदेश का सामान्य ज्ञान	25
2.	सामान्य हिन्दी	25
3.	प्रारंभिक गणित	10
4.	कम्प्यूटर ज्ञान	40
योग :-		100

नोट :- परीक्षा हाल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री:-

प्रवेश-पत्र, काला बॉलपवाइंट पेन। उम्मीदवार को अपना फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे:- आधार कार्ड/वोटर पहचान पत्र/डाइविंग लाइसेंस/आयकर विभाग का पेनकार्ड/पासपोर्ट/ में से कोई एक लाना अनिवार्य होगा।

1.17 पारस्पिक वरीयता:-

समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की आपसी सहवर्षिता लिखित परीक्षा में अंको के आधार पर निर्धारित की जावेगी। लिखित परीक्षा में भी अंक समान होने पर आयु के आधार पर आपसी सहवर्षिता निर्धारित की जावेगी। यह आवश्यक नहीं है कि अंतिम कट-ऑफ मार्क पर समान अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को चयन सूची में लाया जावे।

1.18 सत्यापन/परीक्षण के समय आवश्यक प्रमाण-पत्रों का विवरण:-

आवेदक अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ कोई भी दस्तावेज संलग्न नहीं करेंगे, परन्तु चयन समिति के समक्ष दस्तावेज सत्यापन के समय निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र/दस्तावेज (डाक्यूमेन्ट) प्रस्तुत करना होगा:-

- (1) जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल या इण्टरमीडियेट (10+2) की अंक सूची जिसमें जन्म तिथि लिखी हों,
- (2) शैक्षणिक योग्यता (10+2) की अंकसूची (प्रमाण पत्र),
- (3) व्यावसायिक अर्हता - कम्प्यूटर परीक्षा अथवा मुद्रलेखन तथा शीघ्रलेखन के प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलयर) के सभी उम्मीदवार शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम,

कार्यालय इत्यादि इसमें सुस्पष्ट होना चाहिये। प्रमाण-पत्र हेतु निर्धारित प्रपत्र इस नियमावली के साथ भी प्रकाशित किये जा रहे हैं,

- (4) भूतपूर्व सैनिकों के मामले में 'सेना' की सेवा का प्रमाण पत्र,
- (5) पूर्व से नियोजित उम्मीदवारों को उनके नियोक्ता के द्वारा जारी सेवा में होने का प्रमाण पत्र,
- (6) परित्यक्ता महिला के लिये लागू उच्चतम आयु सीमा की छूट प्राप्त करने हेतु महिला उम्मीदवारों को परित्यक्ता होने के प्रमाण के रूप में राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार से नीचे के स्तर का नहीं होगा, एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि विवाह के बाद महिला उम्मीदवार को उसके पति ने विधिवत तलाक दिये बिना छोड़ दिया है तथा उक्त पति से महिला उम्मीदवार को कोई गुजारा भत्ता नहीं प्राप्त होता है,
- (7) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछडा वर्ग कल्याण विभाग की अर्न्तजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरूस्कृत किसी दम्पति में से उच्च जाति के पति / पत्नी अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये पुरूस्कार सम्बन्धी प्रमाण पत्र,
- (8) "विक्रम पुरस्कार" प्राप्त अभ्यर्थियों को उच्चतर आयु सीमा में छूट "विक्रम पुरस्कार" हेतु पुरूस्कार सम्बन्धी प्रमाण पत्र,
- (9) विवाहित अभ्यर्थियों को उनके बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र,

1.19 दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों का परीक्षण व सत्यापन:-

लिखित परीक्षा उपरांत मण्डल द्वारा लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के उपरांत द्वितीय चरण हेतु रिक्त पदों का 1.5 गुना अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण दस्तावेज परीक्षण हेतु बुलाया जाएगा।

ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ कोई भी प्रमाण-पत्र/दस्तावेज संलग्न नहीं किया जाना है। विभाग द्वारा चाहे गए समस्त प्रपत्र/दस्तावेज/प्रमाण-पत्र अभ्यर्थी की नियुक्ति/सत्यापन/परीक्षण के समय पुलिस विभाग की चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय पुलिस विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा, अतः बाद में यदि यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी दी गई है अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी समय पर पुलिस विभाग/म.प्र. प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा परीक्षा में प्रवेश/चयन/नियुक्ति निरस्त किया जा सकेगा। यदि

उम्मीदवार मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण में अयोग्य पाया जाता है अथवा असफल होता है तो उसे नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी, उसकी अभ्यर्थिता समाप्त करते हुए उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी भले ही वह लिखित परीक्षा में सफल रहा हो। आवेदक की अभ्यर्थिता समस्त प्राथमिकताओं हेतु निरस्त की जावेगी।

1.20 चरित्र सत्यापन:-

नियुक्ति आदेश जारी करने के पूर्व शासन आदेशानुसार प्रत्येक उम्मीदवार का चरित्र सत्यापन कराया जावेगा। मध्य प्रदेश शासन के अन्तर्गत शासकीय सेवा हेतु चयनित उम्मीदवारों के चरित्र सत्यापन हेतु मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा परिपत्र आदेश क्रमांक एफ 17-74/2002/सी-1 दिनांक 05/06/2003 द्वारा दिशा निर्देश प्रसारित किये गये हैं, सामान्य प्रकरणों में इन दिशा निर्देशों का पालन किया जाता है। पुलिस सेवा के लिए योग्य चरित्र पाये जाने वाले उम्मीदवारों की ही नियुक्ति पर विचार किया जावेगा।

पुलिस विभाग में सेवा हेतु चयनित ऐसे उम्मीदवार जो पूर्व में अपराधिक प्रकरणों में संलिप्त रहे हैं, की नियुक्ति हेतु उपयुक्तता अथवा अनुपयुक्तता का निर्णय मान. उच्चतम न्यायालय द्वारा कमिश्नर आफ पुलिस विरुद्ध मेहर सिंह के प्रकरण में दिनांक 02/07/2013 को पारित निर्णय में प्रतिपादित किये गये न्याय दृष्टान्त का अनुसरण किया जाता है। जिसके अनुसार विचारण न्यायालय द्वारा नैतिक अधोपतन के आयाम वाले अपराधिक प्रकरण में उन्मोचित किये जाने पर भी अभ्यर्थी पुलिस सेवा के लिये अयोग्य रहेंगे। इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग में सेवा हेतु चयनित ऐसे उम्मीदवार जो पूर्व में अपराधिक प्रकरणों में संलिप्त रहे हैं, की नियुक्ति हेतु उपयुक्तता अथवा अनुपयुक्तता का विचारण मान. उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 07/10/2013 को पारित निर्णय के पालन में पुलिस मुख्यालय में गठित की गई स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा किया जाता है। अतः ऐसे उम्मीदवार जो पूर्व में अपराधिक प्रकरणों में संलिप्त रहें हैं विचारण न्यायालय द्वारा नैतिक अधोपतन के आयाम वाले अपराधिक प्रकरण में उन्मोचित किये जाने पर भी स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा पुलिस सेवा के लिये अयोग्य ठहराये जा सकेंगे। ऐसे उम्मीदवार जो पूर्व में अपराधिक प्रकरणों में संलिप्त रहे हैं उनका विचारण न्यायालय से अपराधिक प्रकरण में उन्मोचित किये जाने पर भी पुलिस विभाग में नियुक्ति हेतु कोई दावेदारी नहीं बनती है।

यदि कोई उम्मीदवार चरित्र सत्यापन फार्म में कोई तथ्यात्मक जानकारी छिपाता है अथवा कोई गलत जानकारी देता है तो वह सेवा के अयोग्य ठहराया जावेगा और उसे नियुक्ति नहीं दी जावेगी तथा यदि यह तथ्य सेवा में नियुक्ति के बाद उजागर होता है तो उसे बिना कोई अन्य नोटिस दिये सेवा से पृथक कर दिया जावेगा। चरित्र सत्यापन विपरीत होने पर नियुक्ति तथा सेवा में बने रहने की पात्रता नहीं होगी और ऐसे चयनित व्यक्तियों का नाम चयन सूची से हटा दिया जावेगा।

1.22 स्वास्थ्य परीक्षण:-

उम्मीदवार को नियुक्ति आदेश जारी होने के पूर्व उसका स्वास्थ्य परीक्षण जिला मेंडिकल बोर्ड से कराया जावेगा जिसमें उसे पुलिस सेवा के लिये निर्धारित मापदण्डों पर पूर्ण रूप से फिट होना अनिवार्य होगा। जिला मेंडिकल बोर्ड से उम्मीदवार को शासकीय सेवा हेतु अनफिट घोषित किये जाने पर उसे नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी तथा उसका नाम चयन सूची से हटा दिया जावेगा।

1.23 अथ्यर्थिता/चयन के संबंध में निरर्हताएं :-

- (क) ऐसा अभ्यर्थी जिसने पररूपण धारण (इम्परसोनेशन) किया हो या किसी अन्य व्यक्ति से पररूपण धारण कराया हो, कार्यवाही करने पर आवेदक परीक्षा से अयोग्य घोषित किये जायेंगे।
- (ख) ऐसा पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों। इसी प्रकार महिला उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो।
- (ग) ऐसा अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ है, परंतु निरर्हित नहीं होगा यदि एक संतान के जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है।
- (घ) कोई भी अभ्यर्थी जिसके विरुद्ध आपराधिक मामला न्यायालय में विचारित है अथवा न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है अथवा जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनर्ह होगा।
- (ङ.) किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अथ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों द्वारा समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिये निरर्हित माना जा सकेगा।
- (च) कोई भी अभ्यर्थी जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ न पाया जाये, अयोग्य होगा।
- (छ) यदि किसी अभ्यर्थी ने फर्जी दस्तावेज का उपयोग किया हो, दस्तावेज फेरबदल किया हो/चयन के स्तर पर जानकारी छुपाई हो/सारभूत जानकारी छुपाई हो, अयोग्य होगा।

1.24 नियुक्ति की शर्तें:

चयनित अभ्यर्थियों पर मध्यप्रदेश शासन तथा पुलिस विभाग के विभागीय नियम व नियुक्ति की शर्तें लागू होगी, जिनका उन्हें पालन करना होगा। नियुक्ति के पूर्व संबंधित

जिला पुलिस अधीक्षक से चरित्र सत्यापन तथा मेडिकल परीक्षण कराया जायेगा तथा नियुक्ति के समय विभागों के नियमानुसार अनुबंध-पत्र का निष्पादन किया जावेगा।

1.25 यात्रा भत्ता का भुगतान:-

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल के पत्र क्रं. एफ-6-1/2002/आ.प्र./एक, दिनांक 19.09.2002 के प्रावधान अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को दस्तावेजों के परीक्षण के समय उपस्थित होने पर पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश शासन द्वारा यात्रा भत्ता का भुगतान किया जायेगा।

1.26 न्याय क्षेत्र/अधिकार:-

इन विभागीय नियमों के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में जवाबदेह संबंधित विभाग होगा तथा इसका न्याय क्षेत्र माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर तक सीमित होगा।

1.27 पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 12 के अन्तर्गत उपरोक्त नियमों का पूर्व अनुमोदन म0प्र0 शासन: गृह विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-2 (अ) 101/2012/बी-4/दो दिनांक 18 सितम्बर 2012 द्वारा प्राप्त किया गया है।

1.28 सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) (निम्न श्रेणी लिपिक) एवं सूबेदार (अनुसचिवीय) (शीघ्रलेखक (स्टेनोग्राफर) की सीधी भर्ती एवं सीधी भर्ती-बैकलॉग के रिक्त पदों पर भर्ती के संबंध में इसके पूर्व जारी सभी परिपत्र, राजपत्र आदेश तथा अन्य आदेश स्वतः निरस्त हो जावेगे।

नोट:-

1. सहायक उप निरीक्षक(अनुसचिवीय)(निम्न श्रेणीलिपिक) एवं सूबेदार(अनुसचिवीय/शीघ्रलेखक/स्टेनोग्राफर) भर्ती वर्ष 2017 की चयन सूची की वैधता अवधि दो वर्ष तक मान्य रहेगी।
2. उक्त भर्ती में प्रतीक्षा सूची का कोई प्रावधान नहीं है।

(प्रजा ऋचा श्रीवास्तव)

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (चयन/भर्ती)

पुलिस मुख्यालय भोपाल

अध्याय-2

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल परीक्षा संचालन के नियम एवं निर्देश

खण्ड-अ

- 2.1 (i) इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसमें से आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक व अन्य अर्हता को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। **अभ्यर्थी शैक्षणिक अर्हताओं का भलीभाँति अध्ययन उपरान्त ही आवेदन पत्र भरें।**
- (ii) आवेदक को विभिन्न पदों हेतु एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है।
- (iii) **अभ्यर्थी** अपनी प्राथमिकता उल्लेखित करते हुये एक से अधिक पद के लिए अपना विकल्प/अधिमान पदवार चिह्नित कर सकेगा। ऑनलाईन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी एवं विकल्पों के आधार पर ही परीक्षा व परिणाम संबंधी कार्यवाही की जावेगी।
- (iv) उपरोक्त सभी पदों के लिए **अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा ।**
- (v) अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है । अभ्यर्थी का आधार के माध्यम से (e-KYC) आवेदन पत्र ही मान्य होंगे ।
- 2.2 (i) आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें आवेदन पत्र भरने की तिथि को अनिवार्य रूप से पूर्ण होने चाहिये ।
- (ii) आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि के पश्चात किसी भी दिनांक को अर्हतायें अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापित पदों के लिये विचार क्षेत्र में होने की पात्रता नहीं होगी ।
- (iii) आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिये जाने की स्थिति में उनका आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा ।
- (iv) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग/ संस्था या भर्ती परीक्षा में संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा।

- (v) यदि बाद में यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी स्तर पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग द्वारा परीक्षा में प्रवेश/चयन/नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
- (vi) आवेदक द्वारा छद्म रूप से एक से अधिक आवेदन किये जाने एवं तदनुसार परीक्षा में बैठने पर **अभ्यर्थी** की अभ्यर्थिता निरस्त की जावेगी ।

2.3 परीक्षा हाल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री :-

- (i) बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश-पत्र।
- (ii) काला बॉलप्वाइंट पेन।(उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर एवं अन्य लिखित कार्य हेतु ।)
- (iii) फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र - मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य, यु.आई.डी.ए.आई.(UIDAI) के द्वारा सत्यापित (Verify) होने पर ही ई आधार मान्य होगा ।

2.4 परीक्षा में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यथा Scientific Calculator, Mobile Phone, Bluetooth Device, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales and whitener इत्यादि पूर्णतः वर्जित है।

2.5 नागरिकता एवं स्थाई निवासी के संबंध में :-

विभागीय नियम 1.11 के अनुसार

2.6 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों के लिए आयु सीमा :-

विभागीय नियमों के अनुसार

2.7 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों को प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटें :-

विभागीय नियमों के अनुसार

2.8 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों की आयु सीमा के संबंध में अन्य विवरण :-

विभागीय नियमों के अनुसार

2.9 निःशक्तजन अभ्यर्थियों के संबंध में :-

विभागीय नियम 1.13 (क) के अनुसार मध्यप्रदेश शासन गृह पुलिस विभाग के जाप क्रमांक एफ-2-(अ) 541/92/ब (4) दो, दिनांक 04.04.1995 के अनुसार पुलिस विभाग में विकलांगों/निःशक्तजनों की भरती से छूट प्रदान की गई है। अतः पुलिस विभाग के पदों की चयन परीक्षा में निःशक्तजन आवेदन नहीं कर सकेंगे।

2.10 प्रवेश-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया :-

ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक का प्रयोग कर आवेदक अपना प्रवेश-पत्र पी.ई.बी. की वेबसाईट www.vyapam.nic.in से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।

नोट- प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत किसी तरह का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर पी.ई.बी. ऑनलाईन आवेदन-पत्र को रद्द/निरस्त/परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

2.11 परीक्षा प्रवेश-पत्र (Test Admit Card) :-

- (i) नियमानुसार मान्य ऑनलाईन आवेदन-पत्रों के प्रवेश-पत्र (Test Admit Card-TAC) पी.ई.बी. की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर दो भागों में उपलब्ध कराए जायेंगे। जिसमें प्रथम भाग में आवेदक, परीक्षा का नाम, रोल नंबर एवं परीक्षा केन्द्र का विवरण इत्यादि समाहित होगा।
- (ii) अभ्यर्थी का त्रिस्तरीय बायोमेट्रिक परीक्षण होगा। प्रथम बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन डेस्क पर द्वितीय बायोमेट्रिक परीक्षण परीक्षा कक्ष/लैब में प्रवेश के समय वीक्षक द्वारा किया जायेगा तथा तृतीय बायोमेट्रिक परीक्षा समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थी के परीक्षा कक्ष से निर्गम के समय वीक्षक द्वारा किया जायेगा।
- (iii) द्वितीय बायोमेट्रिक प्रक्रिया के उपरांत परीक्षा समाप्ति तक अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष/लैब छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
- (iv) अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक नहीं होने की स्थिति में उसे परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी। जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की रहेगी।
- (v) अतिरिक्त रूप से इस भाग में आवेदक के आवेदन पत्र में भरे गये शरीर के स्थायी पहचान चिन्ह तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक भी अंकित होगा।
- (vi) परीक्षा के दौरान ही वीक्षक के समक्ष अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, बाये हाथ के अंगूठे का निशान तथा हस्तलिपि (काले बाल पाईट पेन से) अंकित करना होगा।
- (iv) प्रवेश-पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

2.12 मूल्यांकन पद्धति :-

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

2.13 अ. त्रुटिपूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक :-

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र के विषय में आपत्तियाँ आहूत की जाती है तदनुसार विषय विशेषज्ञों से प्रश्नपत्र के आपत्तियुक्त प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते हैं :-

- (i) प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर का हो।
- (ii) प्रश्न की संरचना गलत हो।
- (iii) उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।
- (iv) कोई भी विकल्प सही न हो।
- (v) यदि प्रश्न-पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न-भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।
- (vi) कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।
- (vii) अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा उचित समझा जाये।
- (viii) प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न-पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में पी.ई.बी. अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

उदाहरण 01 :- यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी,

$$\frac{90 \times 100}{(100 - 2)} = 91.83$$

उदाहरण 02 :- यदि किसी 150 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 148 प्रश्नों में 140 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{140 \times 150}{(150 - 2)} = 141.89$$

उदाहरण 03 :- यदि किसी 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 198 प्रश्नों में 190 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{190 \times 200}{(200 - 2)} = 191.91$$

नोट :- सभी गणना को दशमलव के दो अंकों तक की जायेगी ।

(आदेश क्र. पी.ई.बी. / 5-प-1/48/5279/2016 भोपाल दिनांक 29.08.2016 के अनुसार)

2.13 ब. परीक्षा में परीक्षा परिणाम नार्मोलाईजेशन पद्धति :-

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल के आदेश क्र. पी.ई.बी./प-1/11/22-2016/4839/2016 भोपाल, दिनांक 04.08.2016 के अनुसार पी.ई.बी. द्वारा आयोजित परीक्षाएँ, जिसमें परीक्षा आयोजन एक से अधिक शिफ्टों में किया जाता है तो उन परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम नार्मोलाईजेशन पद्धति से तैयार किया जावेगा । जिसका सूत्र निम्नानुसार है:-

Normalized Mark of j^{th} candidate in i^{th} session \widehat{M}_{ij} is given by:

$$\widehat{M}_{ij} = \frac{\bar{M}_i^g - M_q^g}{\bar{M}_i - M_{iq}} (M_{ij} - M_{iq}) + M_q^g$$

where,

M_{ij} is the actual marks obtained by the j^{th} candidate in i^{th}

\bar{M}_i^g is the average marks of the top 0.1% of the candidates considering all sessions

M_q^g is the sum of mean and standard deviation marks of the candidates in the paper considering all sessions

\bar{M}_i is the average marks of the top 0.1% of the candidates in the i^{th} session

M_{iq} is the sum of the mean marks and standard deviation of the i^{th} session

नार्मोलाईजेशन पद्धति के बारे में जानने के लिए पी.ई.बी. की वेबसाईट देखे)

2.14 प्रश्न पत्र के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन:-

- (i) प्रश्नपत्र में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ निर्धारित प्रारूप में आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा समाप्ति के उपरान्त एक सप्ताह के भीतर पी.ई.बी. कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है ।

- (ii) बिन्दु क्रमांक 2.13 अ अनुसार पी.ई.बी. द्वारा प्रश्न-पत्र में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ-साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त मूल्यांकन हेतु अंतिम “की” (अंतिम उत्तर) तैयार की जायेगी ।
- (iii) अंतिम उत्तर के संबंध में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

2.15 अनुचित साधन (Unfair means, UFM) :-

बोर्ड द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाईन परीक्षाओं में यू.एफ.एम./पररूपधारी प्रकरणों पर कार्यवाही हेतु निम्नानुसार मार्गदर्शी नियमावली निर्धारित की जाती है:-

(अ) अनुचित साधन (Unfair means) / यू.एफ.एम. (UFM) के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों के संबंध में

1. परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, केलकुलेटर, लॉग टेबिल, नकल पर्चा / Rough Papers/Loose Paper Slip इलेक्ट्रानिक घडी एवं अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा ।
2. परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफुसी करना, ईशारे करना व अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क करना ।
3. प्रतिबंधित सामग्री पाये जानेपर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौंपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना अथवा उपयोग करने पर यूएफएम प्रकरण दर्ज होगा ।
4. नकल प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना ।
5. सक्षम अधिकारी के निर्देशो की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना ।
6. सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना ।
7. परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुँचाना ।
8. ऐसे यूएफएम प्रकरण जिनमें अभ्यर्थी के साथ अन्य व्यक्तियों की संलिप्ता प्रकट होती है ।
9. उपरोक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी का अन्य ऐसा कोई कार्य, क्रियाकलाप, प्रक्रिया अथवा प्रणाली जिससे परीक्षा की शुचिता एवं पवित्रता दूषित होती हो ।

यूएफएम प्रकरणों में बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र-3 में विधिवत जानकारी दर्ज करना अनिवार्य है, जिसे पृथक लिफाफे में नकल सामग्री/साक्ष्य सहित सीलबन्द किया जावे । उपरोक्त मेंसे किसी भी कृत्य के आधार पर अथवा क्रियकलाप/गतिविधियों में अभ्यर्थी की अपराधिक संलिप्ता होने पुलिस प्राथमिकी दर्ज की जावेगी ।

(ब) पररूपधारण (IMPERSONATION) के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों के संबंध में

1. अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना/परीक्षा में शामिल होने का प्रयास करना, यह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधि के अनुसार अपराध है । ऐसे में अभ्यर्थी में विरुद्ध यूएफएम प्रकरण दर्ज करते हुये परीक्षा केन्द्राध्यक्ष द्वारा एफआईआर भी दर्ज करायी जावेगी । ऐसे अपराध के लिए आवेदककर्ता एवं उसके स्थान पर परीक्षा में बैठने वाला व्यक्ति के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।

2. विभाग द्वारा आयोजित द्वितीय परीक्षा, दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन व नियुक्ति के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते हैं, तो विभाग उक्त अभ्यर्थीकी नियुक्ति निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर पी.ई.बी. को अवगत कराया जायेगा ।

पी.ई.बी. द्वारा इस प्रकार के समस्त प्रकरणों को बोर्ड स्तर पर गठित यू.एफ.एम. समिति द्वारा परीक्षण उपरान्त, नियमानुसार कार्यवाही करते हुये अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता/परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सकता है ।

2.16 परीक्षा परिणाम का प्रकाशन :-

- (i) परीक्षा परिणाम घोषित होने के पूर्व पी.ई.बी. की वेबसाईट पर परीक्षा परिणाम के साथ-साथ विषयवार आदर्श उत्तर (subject wise model answers) अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये उपलब्ध होंगे।
- (ii) नियमपुस्तिका के अध्यायों में उल्लेखित नियमों के आधार पर पी.ई.बी. द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी।
- (iii) संबंधित विभाग की अनुशंसा/निर्देश उपरान्त परीक्षा परिणाम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध कराया जावेगा ।
- (iv) विभाग/विभागों को भेजी जाने वाली मेरिट लिस्ट पी.ई.बी. की वेबसाईट पर भी अपलोड की जाएंगी ।
- (v) अन्तिम कुंजी समिति की अनुशंसाएँ भी पी.ई.बी. की वेबसाईट पर अपलोड की जाएंगी ।

2.17 परीक्षा परिणाम :-

- (i) परीक्षा के सभी चरणों के सम्पन्न होने के बाद अभ्यर्थियों का परिणाम पी.ई.बी. की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर अपलोड किया जायेगा।
- (ii) तदनुसार अभ्यर्थी वेबसाईट से डाउनलोड कर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। डाक से परीक्षा परिणाम का प्रेषण नहीं किया जायेगा।

2.18 प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल का कार्य लिखित परीक्षाओं का संचालन एवं उसका परिणाम घोषित करना मात्र होगा :-

- (i) परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार पी.ई.बी. का होगा।
- (ii) पी.ई.बी. अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं पी.ई.बी. द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा।
- (iii) विभाग द्वारा मांग किये जाने की स्थिति में पी.ई.बी. परीक्षा के अन्य चरणों के परिणामों को समेकित कर अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित करेगा ।
- (iv) अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात् परीक्षा से संबंधित अभिलेख पी.ई.बी. द्वारा जारी आदेश क्र. पी.ई.बी./2/स्था./11-38/2006/08/6473/2016 दिनांक 19.10.16 में उल्लेखित अनुसार नष्ट कर दिए जायेंगे।

2.19 न्यायिक क्षेत्राधिकार :- परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय के अंतर्गत रहेगा ।

खण्ड-ब

2.20 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण :-

ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा:-

- (i) आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपी को प्रपत्र **प्रारूप-03** अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करना होगा ।
- (ii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण हेतु आठवीं/दसवीं अथवा बारहवीं की अंकसूची को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा।
- (iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा।

2.21 ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ फोटो एवं हस्ताक्षर संलग्न करने संबंधी निर्देश:-

- (i) आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपी को प्रपत्र **प्रारूप-03** अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करना होगा ।
- (ii) जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होंगे। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये।
- (iii) पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा ।
- (iv) अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खींचा हुआ होना चाहिए। जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें।
- (v) उपरोक्त मांपदड के फोटोग्राफ संलग्न नहीं किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।
- (vi) फोटोग्राफ आवेदन भरने की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा फोटोग्राफ पर खिंचवाने की दिनांक व आवेदक के नाम का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये। यथा संभव अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जैसा फोटो दाढी में/क्लीन शेव में लगाया गया है तो परीक्षा हाल में वैसी ही स्थिति में उपस्थिति दर्ज करानी होगी ।

- (vii) यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जायेगा।
- (viii) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फोटो ही काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जायेगा। अतः ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियाँ सुरक्षित रखा जाना होगा।
- (ix) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे पूर्णतः स्पष्ट रूप से किये जाने होंगे। लघु हस्ताक्षर, अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में हस्ताक्षर अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।
- (x) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग/चयन एवं प्रवेश के समय मान्य होंगे।

2.22 एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधि :-

एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है, जिसके लिए चाही गई समस्त जानकारियों व फोटो सहित आवेदक को जाना होगा:-

- (i) पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए आवेदन-पत्र के प्रारूप को नियमों के अनुरूप उचित रूप से भरना चाहिये ।
- (ii) कियोस्कधारक आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर व हस्तलिपि की दो लाईनों को स्केन कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ यथास्थान संलग्न करेगा।
- (iii) फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारियां भलीभांति पढ़कर सही-सही जानकारी भरा होना सुनिश्चित करने के पश्चात् ही कियोस्कधारक को पोर्टल शुल्क का भुगतान हेतु सहमति दें तथा नकद राशि का भुगतान कियोस्कधारक को करें।
- (iv) भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्कधारक द्वारा कम्प्यूटराईज्ड आवेदन-पत्र सह रसीद आवेदक को उपलब्ध करायेगा, जिसमें आवेदक का ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई समस्त जानकारी के साथ पोर्टल शुल्क भुगतान की जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिसे स्वयं के पास संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकेगा।

2.23 ऑनलाईन आवेदन भरने के संबंध में निर्देश :

- (i) आवेदन पत्र, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि की रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन भरे जा सकते हैं। आवेदक द्वारा भरे जाने वाले आवेदन पत्र में राज्य एवं जिले का विवरण "मीनू" के माध्यम से प्राप्त होगा। जिससे भविष्य में आवश्यकतानुसार राज्य एवं जिले की आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सके।
- (ii) आवेदक को आवेदन पत्र में शरीर के स्थायी चिन्ह तथा परीक्षा के समय प्रस्तुत किये जाने वाले फोटो पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक अनिवार्य रूप से अंकित किया जाना होगा। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा।
- (iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी जाने वाली समस्त जानकारियों की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
- (iv) आवेदक द्वारा आनलाईन आवेदन पत्र में शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप अर्हता रखने वाली अंक सूची का क्रमांक तथा कुल प्राप्तांक, पूर्णांक सहित आवेदन पत्र में भरा जाना अनिवार्य है।
- (v) **आनलाईन आवेदन पत्र में आवेदक का अपना आधार कार्ड क्रमांक अनिवार्यतः अंकित किये जाने का प्रावधान रखा है । इसके उपयोग से**
 1. आवेदन पत्र में आधार नम्बर की प्रविष्टि करना ।
 2. उपरोक्त आधार नम्बर द्वारा M.P.S.R.D.H (मध्यप्रदेश स्टेट रजिडेंट डेटा हब) की e-KYC सुविधा का लाभ लेते हुए आवेदन पत्र में उचित प्रविष्टि करना इस हेतु एम.पी.ऑनलाईन अथवा एप्लीकेशन फार्म फेस्टीलेशन एजेंसी द्वारा M.P.S.R.D.H. तथा स्वयं के मध्य एक वेब सर्विस एप्लीकेशन तैयार की जाकर एप्लीकेशन पोर्टल में अनुप्रयुक्त किया जाना है। इस हेतु आवेदक के रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर ओ.टी.पी. भेजा जायेगा जिससे e-KYC सत्यापन हो सके ।
 3. जिन अभ्यर्थियों का आधार नामांकन में रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर परिवर्तित होगा उन अभ्यर्थियों को मात्र आधार नम्बर प्रविष्टि करना पर्याप्त होगा, किन्तु वे e-KYC का लाभ नहीं ले सकेंगे और ऐसी स्थिति में उन्हें आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियां करनी पड़ेगी ।
 4. परीक्षा के ठीक पूर्व रजिस्ट्रेशन डेस्क पर अभ्यर्थियों का आधार इनेबिल्ड बायोमैट्रिक सत्यापन किया जाना है अब तक यह सत्यापन आधार (Aadhar) से लिंक नहीं था । इस हेतु पी.ई.बी. तथा M.P.S.R.D.H. के मध्यक एक एम ओ.यू.

संपादित किया गया है जिसके द्वारा अभ्यर्थी का आधार इनेबिल्ड सत्यापन रजिस्ट्रेशन डेस्क पर स्वतः हो सकेगा ।

(vi) पहचान पत्र के मीनू मे पी.ई.बी. द्वारा अधिमान्य पहचान पत्र का प्रावधान रखा गया ।

2.24 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की व्यवस्था :-

- (i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र एम.पी.आनलाईन की वेबसाईट www.mponline.gov.in के माध्यम से भरा जा सकता है।
- (ii) इसके अतिरिक्त स्वयं के स्तर से भी उपरोक्त उल्लेखित वेबसाईट्स से डेबिट (कोई भी वीजा/मास्टर/मास्ट्रो) कार्ड/क्रेडिट कार्ड (कोई भी वीजा/मास्टर कार्ड) या नेट बैंकिंग के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है।
- (iii) सीधी भर्ती-बैकलॉग के रिक्त पदों हेतु अभ्यर्थियों द्वारा कोई परीक्षा शुल्क देय नहीं होगा।
- (iv) शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाईन आवेदन-पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि उसमें उल्लेखित आवेदन-पत्र क्रमांक का उपयोग कर मंडल की वेबसाईट के माध्यम से प्रवेश-पत्र प्राप्त किया जा सके।

2.25 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने हेतु दो विकल्प हैं :-

(अ) इंटरनेट केफे द्वारा (क्योस्क)

(ब) स्वयं के कम्प्यूटर द्वारा

- (i) आवेदक वेबसाईट www.mponline.gov.in के माध्यम से होम पेज पर उपलब्ध **Citizen Services** (नागरिक सेवाएं) के अंतर्गत

Application क्लिक कर

Vyapam लिंक में

परीक्षा के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने संबंधी **निर्देश/Instructions** तथा परीक्षा **नियम/Examination Rules** उपलब्ध होंगे।

- (ii) निर्देशों एवं नियमों का भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु **Continue** बटन को क्लिक करें ।

- (iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में चाही गई समस्त जानकारियों को सही-सही भरना अनिवार्य है तथा किसी भी जानकारी के रिक्त रहने की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन-पत्र जमा नहीं किया जा सकेगा।
- (iv) ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि की दो लाईनों की एक इमेज तैयार करने हेतु Link के माध्यम से प्रारूप मुद्रित कर उसमें यथास्थान हस्तलिपि की दो लाईने, फोटो तथा हस्ताक्षर कर उसे स्केन कर jpg फार्मेट में ही कम्प्यूटर में सेव करें व इसे **Browse** बटन के माध्यम से सेव किए गए इमेज को ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न (Attach) करें।
- (v) ऑनलाईन आवेदन-पत्र को **Submit** करने के पूर्व पुनः पढ़कर सुनिश्चित करें कि आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी सही है अथवा नहीं। यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो तो उसे ठीक करने के पश्चात् ही **Submit** बटन का उपयोग कर आवेदन-पत्र को जमा करें।
- (vi) आवेदन पत्र जमा होने पर आवेदन-पत्र क्रमांक दर्शाया जायेगा तथा पोर्टल शुल्क के भुगतान हेतु **proceed to payment** बटन का उपयोग किया जाना होगा, जिसके अंतर्गत दो विकल्प उपलब्ध होंगे :-

(अ) क्रेडिट/डेबिट कार्ड

(ब) इंटरनेट बैंकिंग

2.26 क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान:-

- (i) आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है।
- (ii) क्रेडिट/डेबिट कार्ड विकल्प का चयन करने पर निर्धारित बैंकों का भुगतान हेतु पेमेन्ट गेटवे उपलब्ध होगा, जिसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भर कर पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।
- (iii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा ।

2.27 इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान :-

- (i) आवेदक के पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होने पर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान निर्धारित बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग से बैंक द्वारा प्रदाय यूजर आई.डी. का उपयोग कर किया जा सकता है।

- (ii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा।

2.28

आवेदक के पास उपरोक्त उल्लेखित क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वह ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक उपलब्ध कराकर [Unpaid Application](#) लिंक के उपयोग से शुल्क का भुगतान कर आवेदन-पत्र जमा कर रसीद एवं ऑनलाईन आवेदन-पत्र की प्रति प्राप्त कर सकता है, जिसे संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकता है।

2.29 निर्धारित तिथि में जमा किए गए ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन की व्यवस्था

- (i) ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओं के आधार पर होगी:-
- (ii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में निर्धारित दिवस तक स्वयं आवेदक द्वारा इंटरनेट से अथवा एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा।
- (iii) उक्त सुविधा केवल ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन-पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी।
- (iv) संशोधन हेतु निर्धारित तिथियों की अवधि में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क का भुगतान एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा।
- (v) उपरोक्त प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित के स्थान पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का संशोधन किया जाता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई परीक्षा शुल्क राशि में से अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट की राशि वापस नहीं की जायेगी।
- (vi) परन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से अनारक्षित का संशोधन किया जाता है, तो उसे अनारक्षित के लिए निर्धारित परीक्षा

शुल्क राशि में पूर्व में जमा की गई राशि का समायोजन कर शेष राशि का भुगतान करना होगा।

- (vii) संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक को Vital Field अर्थात् नाम, पिता/माता/पति के नाम एवं जन्मतिथिमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा, अन्य प्रविष्टियों जैसे फोटो व हस्ताक्षर में संशोधन की सुविधा उपलब्ध होगी।
- (viii) संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
- (ix) ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर, बोर्ड आवेदन-पत्र क्रमांक, मोबाईल नंबर एवं ई-मेल आई.डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।
- (x) संशोधन के लिए निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा । अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर पी.ई.बी. द्वारा विचार नहीं किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये पी.ई.बी. द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा ।

2.30 एक से अधिक ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने संबंधी निर्देश :-

- (i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में किसी कारणवश यदि आवेदक एक से अधिक अर्थात् डुप्लीकेट ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरता है, तो उसे पूर्व में भरे गए आवेदन-पत्र की जानकारी यथा नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम जन्मतिथि, लिंग इत्यादि में समानता के आधार पर कम्प्यूटर पर सचेत किया जायेगा कि उक्त जानकारी का पूर्व से ही ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा गया है, क्या उसे निरस्त करना चाहते हैं ? यदि आवेदक द्वारा “हाँ” विकल्प का चयन किया जाता है तब ही उसके द्वारा नवीन आवेदन-पत्र भरा जा सकेगा, अन्यथा पूर्व में भरा गया ऑनलाईन आवेदन-पत्र ही मान्य होगा।
- (ii) अभ्यर्थी द्वारा विकल्प “हाँ” का चयन कर नवीन आवेदन भरने की स्थिति में आवेदक के मोबाईल नंबर/ई-मेल आईडी पर एम.पी. ऑनलाईन द्वारा यथा सम्भव पूर्व में भरा गया आवेदन निरस्त होने की जानकारी भेजी जाएगी तथा नवीन आवेदन-पत्र की हार्डकॉपी में भी पूर्व में भरा गया आवेदन पत्र निरस्त होने की जानकारी दी जायेगी।

- (iii) ऐसी स्थिति में पूर्व में भरे गए आवेदन का भुगतान किया गया शुल्क राजसात किया जावेगा तथा इसके स्थान पर भरे गए नवीन आवेदन-पत्र के लिए पुनः शुल्क का भुगतान करना होगा।
- (iv) आवेदक द्वारा छद्म रूप से एक से अधिक आवेदन किये जाने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जावेगी।

2.31 ऑनलाईन आवेदन-पत्र का निरस्तीकरण :-

- (i) एम.पी. ऑनलाईन से डेटा प्राप्त होने के उपरान्त नियम पुस्तिका में उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर संबंधी स्पेशिफिकेशन के आधार पर फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि का परीक्षण पी.ई.बी स्तर पर भी सुनिश्चित किया जायेगा। इसके पूर्व एम.पी.ऑनलाईन द्वारा यह परीक्षण किया जाएगा।
- (ii) इनमें त्रुटि, अस्पष्टता, या डाटा की अनुपलब्धता होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।
- (iii) इस संबंध में पी.ई.बी द्वारा कोई भी पत्राचार नहीं किया जायेगा तथा समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी।

2.32 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/समस्या के लिए M.P. OnLine के Helpdesk के दर्शाए गए दूरभाष क्रं. 0755 - 4019400 पर सम्पर्क किया जाना होगा।

2.33 परीक्षा के प्रश्न पत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम नियमपुस्तिका के पृथक अध्याय में दिया गया है।

2.34 सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल द्वारा जारी आदेश क्र; एफ सी 3-15/2012/1/3 भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर, 2102 के अनुसार नियुक्ति की कार्यवाही सम्पन्न की जावगी।

2.35 पुनःगणना/पुनर्मूल्यांकन

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा परीक्षा परिणाम जारी किये जाने के पश्चात पुनःगणना/पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर पी.ई.बी द्वारा विचार नहीं किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये पी.ई.बी द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा।

2.36 अभ्यर्थी द्वारा जानकारी/समस्या के लिए टोल फ्री नम्बर 18002337899 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

खण्ड-स

2.37 आवेदन पत्र भरने की समयावधि

ऑनलाईन आवेदन पत्र			ऑनलाईन आवेदन में संशोधन		
भरने की प्रारंभिक तिथि	भरने की अंतिम तिथि	भरने के कुल दिवस	करने की प्रारंभिक तिथि	करने की अंतिम तिथि	करने के कुल दिवस
01-09-2017	15-09-2017	15	01-09-2017	20-09-2017	20

2.38 आनलाईन परीक्षा का विवरण

स.क्र.	परीक्षा प्रश्नपत्र	दिनांक	अवधि	समय	अधिकतम अंक
1.	एक	07-10-2017 एवं	02 घंटे	प्रातः 09:00 से 11:00 बजे तक	100
		08-10-2017	02 घंटे	सायं 03:00 से 05:00 बजे तक	100

परीक्षा में हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को कम्प्यूटर के माउस की सहायक से काला करना होगा।

2.39 (i) परीक्षा शुल्क :-

स.क्र.	प्रश्नपत्रों की संख्या	अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये	अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये (म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)	आवेदन पत्र जमा करने के लिये एम.पी ऑन लाईन का पोर्टल शुल्क	सीधी भर्ती बैकलॉग के अभ्यर्थियों के लिये
01.	एक	500/-	250/-	कियोस्क के माध्यम से भरने पर 70/- रस्टिड सिटीजन यूजर के माध्यम से भरने पर 40/-	निरंक

(ii) संशोधन किये जाने पर देय शुल्क

स.क्र.	प्रश्नपत्रों की संख्या	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर शुल्क	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर पोर्टल शुल्क
01.	एक	20/-	50/-

2.40 परीक्षा शहर :-

लिखित परीक्षा निम्नलिखित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी। मण्डल अपनी सुविधानुसार परीक्षा शहरो/केन्द्रों में परिवर्तन, कमी या वृद्धि कर सकता है। परीक्षा आनलाईन पद्धति से आयोजित है अतः परीक्षा शहर एवं परीक्षा केन्द्रों की उपलब्धता के अनुरूप अभ्यर्थियों को भी वांछित परीक्षा शहर के स्थान पर अन्य परीक्षा शहर आवंटित किया जा सकता है।

आनलाईन परीक्षा केन्द्र				
1. भोपाल	2. इन्दौर	3. जबलपुर	4. ग्वालियर	5. उज्जैन
6. नीमच	7. रतलाम	8. मंदसौर	9. सागर	10. सतना
11. खण्डवा	12. गुना	13. दमोह	14. कटनी	15. सीधी

खण्ड-द

ऑनलाईन परीक्षा प्रणाली के संबंध में निर्देश

2.41

- (i) परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के 1:30 घण्टे पूर्व अभ्यर्थी की उपस्थिति अनिवार्य है।
- (ii) परीक्षा तिथि पर परीक्षा केन्द्र में अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक प्रणाली से अंगूठे का निशान प्राप्त किया जाएगा। अभ्यर्थी के बायोमेट्रिक प्रणाली से अंगूठे का निशान प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उसे परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।
- (iii) बायोमेट्रिक के अतिरिक्त अभ्यर्थी को टी.ए.सी. के द्वितीय भाग की प्रविष्टियों को भरकर लाना अनिवार्य है।
- (iv) पी.ई.बी की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों के लिये ऑनलाईन परीक्षा के मॉक टेस्ट की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी, जिसका उपयोग कर आवेदक परीक्षा पूर्व, परीक्षा प्रक्रिया का अभ्यास कर सकता है।
- (v) पी.ई.बी. कार्यालय में भी आवेदक के लिये ऑनलाईन परीक्षा प्रक्रिया के अभ्यास की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
- (vi) अभ्यर्थी को परीक्षा के दौरान प्रत्येक प्रश्न के लिये उपलब्ध चार विकल्प में से एक विकल्प का चयन उत्तर अंकित करने के लिये अनिवार्य होगा।
- (vii) पी.ई.बी. की वेबसाइट पर परीक्षा समाप्त होने के अगले दिवस प्रश्न पत्र एवं मॉडल उत्तर प्रदर्शित किये जायेंगे जिसके आधार पर आवेदक प्रश्न एवं उनके उत्तर विकल्पों के संबंध में अपना अभ्यावेदन नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत कर सकेगा।
- (viii) अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त अंतिम उत्तर कुंजी (आदर्श उत्तर) तैयार किये जायेंगे। जिसके आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार कर घोषित किया जाएगा।
- (ix) ऑनलाईन आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड के द्वारा ही ऑनलाईन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड आवश्यक रूप से संभाल कर रखें जिसकी समस्त/जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
- (x) परीक्षा का आयोजन एक से अधिक शिफ्ट में किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थियों के स्कोर का Normalisation करने का प्रावधान पी.ई.बी. के पास सुरक्षित रहेगा।
- (xi) नियम पुस्तिका में परीक्षा आयोजन का समय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन/ संशोधन किया जा सकता है।
- (xii) परीक्षा आयोजन की निर्धारित तिथि में परिस्थिति अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है तथा परीक्षा का आयोजन निर्धारित तिथि के पूर्व या पश्चात भी किया जा सकेगा।
- (xiii) ई-आधार कार्ड का प्रिन्ट आउट मूल आई डी के रूप में मान्य नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी को केवल मूल फोटो युक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर ही परीक्षा में बैठने की पात्रता होगी।
- (xiv) परीक्षा में निर्धारित रिपोर्टिंग समय के 30 मिनट पश्चात आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

अध्याय -3
लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम

ç'u i= dk Lrj % gk j l ds Mh 40\$2½Lrj

विभागीय नियम 1.16 के अनुसार

भाग - 1 मध्यप्रदेश का सामान्य ज्ञान - 25 अंक

मध्यप्रदेश की सामान्य प्रमुख जानकारियाँ, प्रमुख अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान, प्रमुख नदियाँ, प्रमुख सिंचाई योजनायें, पर्यटन (दुर्ग व किले, प्रमुख महल, पौराणिक दर्शनीय एवं प्राकृतिक स्थल, गुफायें, समाधि व मकबरे इत्यादि), मध्यप्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व (राजनीतिक, खिलाड़ी, कलाकार प्रशासन, लेखक, साहित्यकार, समाजसेवी इत्यादि)

भाग - 2 सामान्य हिन्दी - 25 अंक

वर्तनी की सामान्य अशुद्धियाँ तथा शब्दों के शुद्ध रूप, शब्दों के स्त्री लिंग, बहुवचन, किसी वाक्य को अन्य लिंग में परिवर्तन, मुहावरा व उनका अर्थ अशुद्ध वाक्यों के शुद्ध रूप, विपरीतार्थक (विलोमार्थक) शब्द, समानार्थक या पर्यायावाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कहावतें एवं लोकोक्तियों के अर्थ, संधि व संधि विच्छेद, क्रिया से भाव वाचक संज्ञा बनाना, रचना एवं रचयिता इत्यादि।

भाग - 3 प्रारंभिक गणित - 10 अंक

प्रारंभिक गणित - गुणा, भाग, दशमलव अंक, निम्न (फ्रैक्शन), प्रतिशत, मूलधन, ब्याज, लाभ-हानि, क्षेत्रफल, आयतन आदि के सम्मिलित प्रश्न।

भाग - 4 कम्प्यूटर ज्ञान - 40 अंक

Operating System Windows 2003-2007, Windows Xp, Microsoft Office 2003-2007, Processor & Memort, Database Management system, Computer Languages, Languages, Introduction to *Internet* & Internet Working.

अध्याय-4
प्रमाण-पत्रों के प्रारूप

प्रारूप-1

प्रश्न-पुस्तिका के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन

(देखें नियम 2.12 एवं 2.13)

(नोट- यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक
मण्डल कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जाएगा)

परीक्षा का नाम	
अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यर्थी का नाम	
अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यर्थी का सेट क्रमांक	

उपरोक्त परीक्षा के प्रश्न-पत्र में निम्नलिखित प्रश्न उल्लेखित कारणों से त्रुटिपूर्ण है :-

स0क्र0	प्रश्न क्रमांक	त्रुटि का विवरण	साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण	संलग्न क क्रमांक

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है । कृपया उक्त प्रश्नों के त्रुटि का निराकरण करने का कष्ट करें ।

स्थान

आवेदक के हस्ताक्षर.....

दिनांक.....

आवेदक का नाम.....

आदर्श उत्तरों पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन

(देखें नियम 2.12 एवं 2.13)

(नोट- यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक मण्डल कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जाएगा)

परीक्षा का नाम	
अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यर्थी का नाम	
अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यर्थी का सेट क्रमांक	

मंडल की वेबसाईट पर प्रदर्शित सेट क्रमांक के आदर्श उत्तर में निम्नलिखित उत्तर त्रुटिपूर्ण है :-

स.क्र.	उत्तर क्रमांक	आदर्श कुंजी में प्रदर्शित उत्तर	अभ्यर्थी के अनुसार उत्तर	उत्तर के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण	संलग्नक क्रमांक

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है।

स्थान

आवेदक के हस्ताक्षर.....

दिनांक.....

आवेदक का नाम.....

Professional Examination Board
प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड

Predefined Template

फोटो / Photo

4" x 5" सेमी फोटो यहाँ
चिपकाये

4" x 5" cm photo
paste here

Box-1

हस्ताक्षर / Signature

Box-2

निर्देश / Instruction(हस्ताक्षर / Signature)

- (i) अपना पूरा हस्ताक्षर बॉक्स-2 के अंदर करें, (ii) अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों ea vFlok vax h ds y/hj gLrk/lj eH; ugh gks A (iii) एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे
- (i) Do your full signature within box-2, (ii) signature in capital letter or Short is not allowed (iii) more than 1 signature will be invalid

निर्देश / Instruction(फोटो / Photo)

- फोटोग्राफके निचले हिस्से पर फोटो खिचवाने की दिनांक व आवेदक का नाम स्पष्ट होना चाहिए तथा यह आवेदन करने की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए
- Photograph of the candidate should bear his/ her name and the date on the front of the lower part of photograph and it should not be old more than 3 months from application date

स्व-घोषणा / Self-declaration:

मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन में दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर पर झूठी या पात्रता मापदंडकी आवश्यकताओं अनुसार संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

अथवा / Or

I hereby declare that all statements made in this application are true to the best of my knowledge and belief. If any information being found false at any stage or not satisfying the eligibility criteria

स्व-घोषणा / Self-declaration

(ऊपर दिए गए घोषणा को बॉक्स-3 के अंदर अपने लेखन में कॉपी करें/ Copy in your running hand writing in box-3, the declaration given above)

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये स्थायी जाति प्रमाण पत्र

ऐसे उम्मीदवार, जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित नियमों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने के नाते, आयु संबंधी या अन्य सुविधायें चाहते हों तो निम्नांकित प्राधिकारियों में से किस एक प्राधिकारी से निम्न प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें:-

1. जिलाध्यक्ष/अपर जिलाध्यक्ष/उप जिलाध्यक्ष/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अथवा जिलाध्यक्ष द्वारा अधिकृत अन्य कोई अधिकारी।

स्थाई प्रमाण पत्र नीचे लिखे प्रारूप के अनुसार होना चाहिये -

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग.....जिला.....मध्य प्रदेश
पुस्तक क्रमांक.....
प्रमाण पत्र क्रमांक.....प्रकरण क्रमांक.....

स्थायी जाति प्रमाण पत्र-नियम 8 (1)

यह प्रमाणित किया जाता है कि

श्री/श्रीमती/कुमारी..... पिता/पति का नाम
.....निवासी/ग्राम/नगर विकास खण्ड
तहसील.....जिला.....संभाग.....

जाति/जनजाति का/की सदस्य हैं और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है

और यह जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन)

अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत मध्य प्रदेश की सूची में अनुक्रमांक..... पर अंकित हैं, अतः

श्री/श्रीमती/कुमारीपिता/पति का नामअनुसूचित जाति/
जनजाति का/की हैं ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी.....के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये.....हैं।

दिनांक

हस्ताक्षर

(सील) प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम, पदनाम

प्रारूप-5

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये
अस्थायी जाति प्रमाण पत्र

ऐसे उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित नियमों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनु.जनजाति के सदस्य होने के नाते, आयु संबंधी या अन्य सुविधायें चाहते हो तथा उनके पास जाति संबंधी स्थाई प्रमाण पत्र उपलब्ध न हो तो निम्नांकित प्राधिकारियों में से किसी एक प्राधिकारी से निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें:-

1. संबंधित (राजस्व) अधिकारी/तहसीलदार/अतिरिक्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार। अस्थाई प्रमाण पत्र नीचे लिखे प्रारूप के अनुसार होना चाहिये -

(अस्थायी प्रमाण पत्र) नियम 8 (2)

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग.....जिला.....मध्य प्रदेश
पुस्तक क्रमांक.....प्रमाण पत्र क्रमांक.....प्रकरण क्रमांक.....

जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... पिता/पति का नाम
.....निवासी/ग्राम/नगरवि.ख.तहसील....
.....जिला..... संभाग.....जाति/जनजाति का/की
सदस्य हैं और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह
.....जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन)
अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत मध्य प्रदेश की सूची में अनुक्रमांक.....पर अंकित हैं, अतः
श्री/श्रीमती/कुमारीपिता/पति का नाम
अनुसूचित जाति/ जनजाति का/की हैं ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी.....के परिवार
की कुल वार्षिक आय रुपये.....हैं।

दिनांक

हस्ताक्षर

(सील)

प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम, पदनाम

यह प्रमाण पत्र जारी होने के दिनांक से 6 माह के लिये वैध रहेगा।

प्रारूप-6

अन्य पिछड़ा वर्गों के शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिये
प्रस्तुत किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप
(स्थायी जाति प्रमाण पत्र) नियम 8(1)
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग.....जिला.....मध्यप्रदेश
पुस्तक क्रमांक.....प्रमाण पत्र क्रमांक.....प्रकरण
क्रमांक.....

जाति प्रमाण पत्र

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पिता/पति
का..... नामनिवास/ग्राम/नगर वि.ख.....
तहसील..... जिला..... संभाग.....मध्य प्रदेश के
निवासी हैं, जो..... जाति के हैं, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्य प्रदेश शासन, आदिम
जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26
दिसम्बर 1984 द्वारा अधिमान्य किया गया है।

श्री/श्रीमती/कुमारीपिता/पति का नामऔर/उनका परिवार
सामान्यतः मध्य प्रदेश के जिला संभाग.....में
निवास करता है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....क्रीमीलेयर
(सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण
विभाग केपरिपत्र क्रमांक 360/2/22/93/स्था(एस.सी.टी.) दिनांक 8.9.1993 द्वारा जारी सूची के कालम-3 में मध्य
प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के जाप क्रमांक-एफ-7-26/93/1/आप्र./दिनांक 8 मार्च, 1994 के साथ संलग्न
परिशिष्ट 'ई' की अनुसूची के कालम (3) में किया गया है।

3. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारीके परिवार की कुल
वार्षिक आय रुपये.....है।

दिनांक

हस्ताक्षर

(सील) प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम, पदनाम

यह प्रमाण पत्र जारी करने के लिये प्राधिकृत अधिकारियों की सूची।

प्रमाणीकरण हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है जहां कि अभ्यर्थी एवं उसका परिवार निवास करता है।

जिलाध्यक्ष/अपर जिलाध्यक्ष/उप जिलाध्यक्ष/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/जिलाध्यक्ष अथवा शासन द्वारा अन्य प्राधिकृत अधिकारी।

प्रारूप-7

अन्य पिछड़ा वर्गों के शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिये
प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप
(अस्थायी जाति प्रमाण पत्र) नियम 8(2)
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग.....जिला.....मध्यप्रदेश
पुस्तक क्रमांक.....प्रमाण पत्र क्रमांक.....प्रकरण
क्रमांक.....

जाति प्रमाण पत्र

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पिता/पति
का नामनिवास/ग्राम/नगर
.....वि.ख.....तहसील.....जिला.....
..... संभाग.....मध्य प्रदेश के निवासी हैं, जो..... जाति के हैं, जिसे पिछड़ा वर्ग
के रूप में मध्य प्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक
एफ-8-5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा अधिमान्य किया गया है। श्री/श्रीमती/कुमारी
..... पिता/पति का नामऔर/उनका परिवार

सामान्यतः मध्य प्रदेश के जिलासंभाग में निवास करता है। यह प्रमाणित किया
जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/ वर्गों की
श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्रमांक
360/2/22/93/स्था(एस.सी.टी.) दिनांक 8.9.1993 द्वारा जारी सूची के कालम-3 में मध्य प्रदेश शासन, सामान्य
प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक-एफ-7-26/93/1/आप्र. /दिनांक 8 मार्च, 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट 'ई' की अनुसूची
के कालम (3) में किया गया है

3. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारीके
परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये.....हैं।

दिनांक

हस्ताक्षर

(सील) प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम, पदनाम

यह प्रमाण पत्र जारी करने के लिये प्राधिकृत अधिकारियों की सूची। प्रमाणीकरण हेतु निम्नलिखित
अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है जहां कि अभ्यर्थी एवं उसका परिवार निवास करता है। संबंधित राजस्व
अधिकारी/ तहसीलदार/ अतिरिक्त तहसीलदार/ नायब तहसीलदार

यह प्रमाण पत्र जारी करने के दिनांक से 6 माह के लिये वैध रहेगा।

नोट: वर्णित विभिन्न प्रारूपों के अतिरिक्त भी यदि कोई संबंधित प्रारूप शेष रह जाता है तो वह शासन के द्वारा जारी किए गए प्रारूप के अनुसार होगा।